डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-50, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

02 जुलाई 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, निःशुल्क

पीएम आवास में बदलाव, अब 3 दिन में मिलेगा बिल्डिंग परमिट, शुल्क में भी राहत

शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण की प्रक्रिया अब और आसान हो गई है। केंद्र सरकार ने पीएम आवास शहरी 2.0 के तहत नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए भवन निर्माण परमिट जारी करने की समयसीमा सिर्फ 3 दिन तय कर दी है। साथ ही मकान बनाने के लिए अब किसी तरह के शुल्क नहीं लिए जाएंगे। प्रदेश के सभी नगर निगमों और निकायों में इस नई व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

अब घर बनाने की प्रक्रिया होगी सरल

नए नियमों के अनुसार, अब शहरी क्षेत्रों में ईडब्लूएस श्रेणी के पात्र हितग्राही जिनके पास खुद की ज़मीन है, वे आसानी से मकान बना सकेंगे। मकान का नक्शा पास करवाने या निर्माण की अनुमति लेने में अब किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी।

तुलना पहले और अब की

पहले	अब
केवल ऑनलाइन आवेदन	ऑनलाइन + ऑफलाइन आवेदन
लंबित कर जमा अनिवार्य	लंबित कर जमा अब अनिवार्य नहीं
अनुमति में लगते थे कई दिन	अब 3 दिन में बिल्डिंग परमिट
शुल्क भरना होता था	अब कोई शुल्क नहीं

पीएम आवास के लिए खुले क्षेत्र की शर्त भी तय

पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 500 वर्गफुट के भूखंड पर निर्माण करते समय 75 प्रतिशत क्षेत्र खुला रखना अनिवार्य होगा। बड़े भूखंडों के लिए पूर्व की शर्तें लागू रहेंगी, 800 वर्गफुट तक के भूखंडों के लिए खुले क्षेत्र से जुड़ी शर्तों में ढील दी है।

घर बनाने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश

- राज्य सरकार ने मकान निर्माण के लिए दिशा-निर्देश भी तय कर दिए हैं।
- मकान केवल आवासीय बस्तियों या मोहल्लों में ही बनाया जाएगा।
- मकान ऐसे स्थान पर न बने जिससे भविष्य में प्रस्तावित सड़क, नाला, जल स्रोत, सार्वजनिक भूमि या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बाधित हो।
- निर्माण ऐसा हो जिससे भविष्य में व्यवस्थापन की आवश्यकता न पड़े।

नवा रायपुर में एनएफएसयू, फॉरेंसिक लैब की नींव

268 करोड़ की सौगात

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (**NFSU**) और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (**CFSL**) के रायपुर परिसर का शिलान्यास व एनएफएसयू के अस्थाई परिसर का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया।

हर साल तैयार होंगे 32 हजार फॉरेंसिक एक्सपर्ट

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने बताया कि देशभर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के 26 नए परिसरों का विस्तार किया जा रहा है। इनसे हर साल 32 हजार से अधिक फॉरेंसिक एक्सपर्ट तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य की गई है। इससे अपराधों की दोषसिद्धि दर में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी और आधुनिक अपराध जांच प्रणाली को नई ताकत मिलेगी। "विकसित भारत का निर्माण केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और इनोवेशन से नहीं, बल्कि त्वरित न्याय व्यवस्था से भी होता है।" जहां वैज्ञानिक प्रमाण होता है वहीं सटीक परिणाम आता है और फ़ोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) की मदद से आने वाले दिनों में भारत दोषसिद्धि की दर में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होगा।

एनएफएसयू से डिग्री मतलब नौकरी की पक्की गारंटी

268 करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहे एनएफएसयू और सीएफएसएल परिसर से हजारों छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ करियर की गारंटी मिलेगी। गृह मंत्री ने विश्वास दिलाया कि एनएफएसयू की डिग्री से रोजगार की संभावना 100% होगी, क्योंकि फॉरेंसिक, साइबर क्राइम, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों की भारी मांग है।

स्रोत : https://dprcg.gov.in/

क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा और अधिक आधुनिक

रायपुर में एनएफएसयू और सीएफएसएल की स्थापना से न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे मध्य भारत के न्यायिक तंत्र को मजबूती मिलेगी। श्री शाह ने कहा, "जहाँ वैज्ञानिक प्रमाण होते हैं, वहीं सटीक न्याय होता है।" ये संस्थान जांच प्रक्रिया को तकनीकी और साक्ष्य-आधारित बनाएंगे, जिससे निर्दोषों को राहत और दोषियों को शीघ्र दंड मिलेगा।

छत्तीसगढ़ के आत्मनिर्भर भविष्य की नींव है

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा, इस विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक साइंस, डिजिटल फॉरेंसिक, साइकोलॉजी, ड्रग डिटेक्शन, साइबर क्राइम जैसे विषयों में डिग्री व डिप्लोमा कोर्स संचालित होंगे, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था को तकनीकी बल मिलेगा।

विश्व योग दिवस

जशपुर में जन-संवाद योग, यश और विकास का संगम

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने जशपुर के रणजीता स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम में हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने योग को भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए कहा कि यह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि का सशक्त माध्यम है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किए जाने के बाद 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 175 से अधिक देशों में मनाया जाता है।

107.81 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात

- जशपुर विधानसभा क्षेत्र में 61.20 करोड़ के 85 कार्यों का भूमिपूजन और 15.80 करोड़ के 6 कार्यों का लोकार्पण।
- कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में फरसाबहार विकासखंड के अंतर्गत 24.90 करोड़ के 15 कार्यों का भूमिपूजन और 5.91 करोड़ के 4 कार्यों का लोकार्पण।

रोजगार और नियोजन पेपर मोबाइल एप पर भी पढ़िए

https://dprcg.gov.in/

छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्र रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होने के साथ अब एप पर भी उपलब्ध है।

जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

मलेरिया मुक्त बस्तर

बस्तर में 0.46 प्रतिशत तक सिमटी मलेरिया दर, बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं की ऐतिहासिक उपलब्धि

बस्तर संभाग में मलेरिया प्रकरणों में 72% की गिरावट

छत्तीसगढ़ सरकार के मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को बस्तर संभाग में बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार की जन-केंद्रित सोच और समर्पित स्वास्थ्य प्रयासों का परिणाम है। यह सफलता स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों, मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मेहनत का प्रमाण है। राज्य सरकार मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP) और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य कर रही है।

राज्य का वार्षिक परजीवी सूचकांक (API)

वर्ष	API
2019	7.14
2020	4.91
2021	3.99
2022	3.82
2023	3.8
2024	0.98

वर्ष 2015 में 5.21 था, जो घटकर 2024 में 0.98 हो गया है।

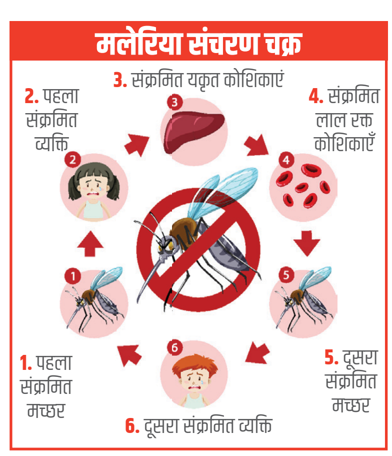

वर्ष	मामले	मौतें	वर्ष	मामले	मौतें
2001	51844	18	2013	6367	6
2002	38704	3	2014	11490	10
2003	37638	0	2015	11480	4
2004	44145	2	2016	14599	21
2005	44298	0	2017	13331	23
2006	43603	0	2018	7472	8
2007	37087	0	2019	6868	5
2008	29483	0	2020	4812	6
2009	24586	2	2021	3974	4
2010	15238	0	2022	3808	4
2011	14600	9	2023	3804	3
2012	6378	8	2024	3272	4

स्रोत : https://ncvbdc.mohfw.gov.in

रिक्रूटमेंट नोटिस

मप्र आंगनबाड़ी
पदः कार्यकर्ता सहित अन्य
पद संख्याः 19503
अंतिम तिथिः 4 जुलाई
chayan.mponline.gov.in

DMER
पदः लैबोरेटरी असिस्टेंट, ड्राइवर
पद संख्याः 1107
अंतिम तिथिः 9 जुलाई
www.med-edu.in

AIIMS
पदः फैकल्टी
पद संख्याः 64
अंतिम तिथिः 15 जुलाई
aiimsguwahati.ac.in

जेएसएससी
पदः सेकंडरी टीचर
पद संख्याः 1373
अंतिम तिथिः 17 जुलाई
https//jssc.jharkhand.gov.in/

राजस्थान कर्मचारी बोर्ड
पदः ग्राम विकास अधिकारी
पद संख्याः 850
अंतिम तिथिः 18 जुलाई
rssb.rajasthan.gov.in

SGPGI
पदः नर्सिंग ऑफिसर सहित अन्य
पद संख्याः 1479
अंतिम तिथिः 18 जुलाई
sgpgims.org.in

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग
पदः असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर
पद संख्याः 134
अंतिम तिथिः 21 जुलाई
ssc.jharkhand.gov.in

रोजगार और नियोजन
प्रधान संपादक
डॉ. रवि मित्तल
संपादक
जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक
गीतांजलि नेताम
संपादकीय
संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइन-इलेस्ट्रेशन
धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर
अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था
विक्रांत ताम्रकार
- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com
रोजगार और नियोजन निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक

बालोद जिले के प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण 'ओनाकोना' में हर मौसम में होता है मनमोहक नजारा

छत्तीसगढ़ में टेक्नोलॉजी का नया युग
नया रायपुर में देश का पहला AI डेटा सेंटर पार्क

नवा रायपुर के सेक्टर-22 में बन रहा प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क, पहले फेज में 20 मेगावॉट होगी क्षमता

छत्तीसगढ़ अब कोयला, स्टील और कृषि उत्पादों की पारंपरिक पहचान से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी देश में अग्रणी बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। नया रायपुर के सेक्टर-22 में देश का पहला अत्याधुनिक AI आधारित डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है, जो इसी वर्ष के अंत तक प्रारंभ हो जाएगा। इस हाई-टेक परियोजना से न केवल छत्तीसगढ़ की तकनीकी साख बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के हजारों नए अवसर भी सृजित होंगे।

6 एकड़ में बन रहा हाई-टेक पार्क

करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस डेटा सेंटर पार्क का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 6 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला यह पार्क चार अत्याधुनिक डेटा सेंटर बिल्डिंग्स के रूप में तैयार होगा। इन्हें मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन तकनीक से चरणबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है। प्रत्येक रैक की क्षमता 80 किलोवॉट से लेकर 200 किलोवॉट तक होगी।

20 मेगावॉट की क्षमता से होगी शुरुआत

इस पार्क की कुल आईटी पावर क्षमता 80 मेगावॉट होगी, जिसमें से प्रथम

चरण में 20 मेगावॉट की यूनिट इसी वर्ष के अंत तक शुरू की जाएगी। यह डेटा सेंटर पार्क 60,000 GPU को होस्ट करने की क्षमता रखता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कार्यों के लिए आवश्यक हाई-एंड कंप्यूटिंग सुविधाएं प्रदान करेगा।

देशी तकनीक से होगा निर्माण

इस प्रोजेक्ट का संपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा। इसमें 'वरुणा लिक्विड इमर्शन' और डायरेक्ट-टू-चिप कूलिंग जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि सर्वर और अन्य उपकरणों को कुशलता से ठंडा रखा जा सके। अमेरिका की ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी दिग्गज टेक कंपनियों ने इस सेंटर में अपनी सेवाएं होस्ट करने की रुचि दिखाई है।

AI इकोसिस्टम को मिलेगा मजबूत आधार

एनआईटी के विशेषज्ञों के अनुसार, यह डेटा सेंटर भारत में एआई इकोसिस्टम को मजबूती देने का काम करेगा। यहां हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की सुविधा मिलेगी, जो बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेनिंग देने और जेनरेटिव एआई जैसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने में सक्षम होगी।

रोजगार और स्टार्टअप्स को मिलेगा बड़ा मौका

यह परियोजना राज्य के युवाओं के लिए भी बड़ी सौगात साबित होगी। शुरूआती चरण में ही 500 से अधिक नौकरियां सृजित होंगी और आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा 2000 से पार पहुंच जाएगा। AI, डेटा साइंस और डेटा सेंटर मैनेजमेंट जैसे उभरते क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे वे भविष्य की तकनीक के लिए तैयार हो सकें।

अग्निशमन विभाग में 295 पदों पर भर्ती, आवेदन 31 जुलाई तक

छत्तीसगढ़ अग्निशमन विभाग में 295 पदों पर भर्ती के लिए 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन से 31 जुलाई 2025 तक चलेगी। भर्ती में उप निरीक्षक के 21 पद, वाहन चालक के 14 पद, वाहन चालक सह ऑपरेटर के 86 पद, फायरमैन के 117 पद, स्टोर कीपर के 32 पद, मैकेनिक के 2 पद, वॉटर रूम ऑपरेटर के 19 पद तथा वायरलेस ऑपरेटर (संविदा) के 4 पद शामिल हैं। विस्तृत जानकारी के लिए www.cghged.gov.in का देख सकते हैं।

18 अगस्त से ओपन स्कूल की द्वितीय परीक्षा, शेड्यूल जारी

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की दसवीं और बारहवीं की द्वितीय परीक्षा 18 अगस्त से शुरू होगी। दसवीं की परीक्षा 1 सितंबर और बारहवीं की 3 सितंबर तक चलेगी। पहली परीक्षा मार्च-अप्रैल में हुई थी, जिसमें लगभग 30 हजार छात्र फेल हुए थे। अब उन्हें दूसरा मौका मिलेगा। इस परीक्षा में फेल छात्र और नए छात्र भी शामिल हो सकते हैं। पहले वर्ष में दो बार परीक्षा होती थी, लेकिन अब तीन बार आयोजित की जा रही है। विस्तृत जानकारी और समय-सारणी ओपन स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सहायक संचालक उद्योग परीक्षा 12 जुलाई को

CGPSC ने सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग)-2025 परीक्षा की संशोधित तिथि अब 12 जुलाई 2025 को रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, अम्बिकापुर और जगदलपुर में आयोजित होगी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र परीक्षा से 10 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे।

रेलवे में 6180 पदों पर भर्ती, आवेदन 28 जुलाई तक

रेलवे भर्ती बोर्ड ने 6180 तकनीशियन पदों पर भर्ती के लिए 28 जुलाई 2025 तक आवेदन। ग्रेड-1 सिग्नल हेतु भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में स्नातक या डिप्लोमा आवश्यक है। ग्रेड-3 हेतु 10वीं पास व आईटीआई अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सकीय परीक्षण शामिल है। आवेदन www.rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है।

IIT खड़गपुर में प्रोफेशनल ट्रेनी भर्ती, 12 जुलाई तक करें आवेदन

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) खड़गपुर ने प्रोफेशनल ट्रेनी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों के पास लाइब्रेरी साइंस में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री होना अनिवार्य है। चयन मेरिट सूची और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार erp.iitkgp.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

AIIMS गुवाहाटी में फैकल्टी पदों पर भर्ती, आवेदन 15 जुलाई तक

AIIMS गुवाहाटी ने फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 15 जुलाई 2025 तक वेबसाइट aiimsguwahati.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता MBBS, MD/MS, M.Ch या DM निर्धारित है। अधिकतम आयु 58 वर्ष है। चयन प्रक्रिया में बायोडेटा मूल्यांकन, स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरव्यू और दस्तावेज़ सत्यापन शामिल हैं। वेतन 1,01,500 रुपए से 1,68,900 रुपए प्रतिमाह रहेगा।

नायब तहसीलदार के 75 पदों पर भर्ती, आवेदन 15 जुलाई तक

जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 75 पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित की गई है, तथा आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपए तथा आरक्षित वर्गों के लिए 500 रुपए निर्धारित है।

7279 स्पेशल स्कूल टीचर पदों पर भर्ती, आवेदन 28 जुलाई तक

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने स्पेशल स्कूल टीचर के 7,279 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें प्राथमिक स्तर के 5,534 और उच्च प्राथमिक स्तर के 1,745 पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 2 जुलाई से 28 जुलाई 2025 तक bpsc.bihar.gov.in पर चलेगी। प्राथमिक स्तर के लिए 12वीं और डीएलएड तथा उच्च प्राथमिक के लिए स्नातक व बीएड अनिवार्य है। चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

छत्तीसगढ़

कवि पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे का निधन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दी श्रद्धांजलि

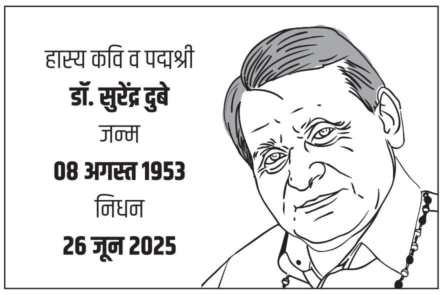

देश के जाने-माने हास्य कवि व पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे का 26 जून को निधन हो गया। पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक, दुबे का जन्म 8 अगस्त 1953 को बेमेतरा, दुर्ग, भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में हुआ था। उन्होंने पांच पुस्तकें लिखी हैं, भारत सरकार ने उन्हें साल 2010 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया था। वे 2008 में काका हाथरसी से हास्य रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी रहे है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे के निवास पर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक-संतप्त परिजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की।

नक्सलवाद के अंत की निर्णायक घड़ी निकट: केंद्रीय गृह मंत्री

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नवा रायपुर में सुरक्षा बलों के जवानों से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होगा। उन्होंने सुरक्षा बलों के साहस और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि जब बच्चा बंदूक की बजाय पेंसिल पकड़ेगा, तब देश का भविष्य बदलेगा। इस दौरान 'लियोर ओयना' पुस्तक का विमोचन भी हुआ, जो नक्सल हिंसा की सच्चाई को उजागर करती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सहित वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ में रणनीतिक खनिजों के दोहन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में सामरिक एवं रणनीतिक खनिजों के अन्वेषण और दोहन पर एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। खनिज सचिव श्री पी. दयानंद ने बताया कि राज्य में लीथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिजों की प्रचुरता है। कार्यशाला में भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों ने अन्वेषण की आधुनिक तकनीकों पर प्रस्तुति दी। एनएमईटी के प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव एवं वित्तीय सहायता पर जानकारी दी। इस पहल से निवेश और औद्योगिक विकास को गति मिलने की संभावना है।

50 बेड का अस्पताल बनाओ, 140 करोड़ तक अनुदान पाओ

प्रदेश की नई औद्योगिक नीति में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने मेडिकल सेक्टर को बड़ी सौगात दी है। अब सरकार न्यूनतम 50 बेड वाले सभी प्रकार के एलोपैथिक, आयुष, नेचुरोपैथी अथवा एकीकृत हॉस्पिटल की स्थापना पर अधिकतम 140 करोड़ रुपए तक का अनुदान देने जा रही है। प्रदेश सरकार की इस घोषणा के बाद मेडिकल जगत में उत्साह का वातावरण है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन से आईएमए और चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर प्रदेश सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया।

छत्तीसगढ़ के विकास में मध्य क्षेत्रीय परिषद बनी सहायक: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में कहा कि यह परिषद राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय का सशक्त मंच है। उन्होंने नक्सलवाद पर निर्णायक बढ़त, बस्तर में विकास, ऊर्जा और निवेश में छत्तीसगढ़ की अग्रणी भूमिका, औद्योगिक विस्तार, सुशासन व जनसेवा में हो रहे बदलावों को रेखांकित किया। नई औद्योगिक नीति से 5.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, डेढ़ लाख सोलर पंप, 6 लाख सौर घरों की योजना और 1033 अस्पतालों को आयुष्मान भारत से जोड़ने जैसी उपलब्धियाँ गिनाईं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सुशासन व विकास का मॉडल राज्य बन चुका है।

नक्सल क्षेत्रों में विकास की रफ्तार कोठागुडेम–किरंदुल रेललाइन सर्वे अंतिम चरण में

बस्तर अंचल में विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कोठागुडेम (तेलंगाना) से किरंदुल (छत्तीसगढ़) तक प्रस्तावित 160.33 किमी रेललाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे अंतिम चरण में है। इस रेलमार्ग का 138.51 किमी हिस्सा सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित जिलों से होकर गुजरेगा। अत्याधुनिक लिडार तकनीक से हो रहा यह सर्वे केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में हो रहा है। परियोजना से इन पिछड़े क्षेत्रों को पहली बार रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी। भारतीय रेलवे ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सहयोग के लिए विशेष आभार व्यक्त किया है। यह रेललाइन बस्तर के लिए समावेशन और समृद्धि का प्रतीक बनेगी।

शिक्षा के साथ विकास को मिली गति, टोहड़ा में शाला प्रवेशोत्सव पर घोषणाओं की सौगात

राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के टोहड़ा स्कूल में आयोजित शाला प्रवेशोत्सव में भाग लिया। नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और पाठ्य सामग्री वितरित की गई। सरस्वती सायकल योजना के तहत 80 छात्राओं को सायकिल दी गई। मंत्री श्री वर्मा ने विद्यार्थियों को ईमानदारी व मेहनत से पढ़ाई करने की प्रेरणा दी और सोशल मीडिया से सावधानी बरतने की सलाह दी। कार्यक्रम में विधायक श्री अनुज शर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सात अतिरिक्त कक्ष और 12 लाख से बने प्रार्थना शेड का लोकार्पण किया गया। मंत्री ने शौचालय, सायकल स्टैंड, रंगमंच और "एक पेड़ मां के नाम" योजना के तहत पौधरोपण की घोषणा भी की।

कुनकुरी को मिली स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात मातृ-शिशु चिकित्सालय का भूमिपूजन

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के कुनकुरी में 8.77 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 50 बिस्तरों वाले मातृ-शिशु चिकित्सालय और 50 लाख की लागत से ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल कुनकुरी सहित फरसाबहार, कांसाबेल और दुलदुला क्षेत्र के माताओं और बच्चों के लिए वरदान सिद्ध होगा। उन्होंने जशपुर में 200 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत, वय वंदना, महतारी वंदन जैसी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि जनकल्याण के हर वादे को पूरा किया जा रहा है। पंचायतों में सीएससी केंद्र खोलने का कार्य भी तेज़ी से जारी है।

राष्ट्रीय

आईएसएस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला

भारत के शुभांशु शुक्ला ने 25 जून को तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए रवाना होकर इतिहास रच दिया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय और आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले, विंग कमांडर राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 को तत्कालीन सोवियत संघ के इंटरकॉस्मोस कार्यक्रम के तहत सोयूज़ टी-11 से उड़ान भरी थी और सैल्यूट-7 अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 दिन बिताए थे। दिलचस्प बात यह है कि उस समय शुभांशु शुक्ला का जन्म भी नहीं हुआ था। शुभांशु एक्सिओम मिशन के पायलट हैं। नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री मिशन कमांडर पैगी व्हिट्सन, पोलैंड के स्लावोमीर अजनानोव्स्की विज़निएव्स्की, और हंगरी के टिबोर्ड कप्पी भी इस मिशन का हिस्सा हैं। चारों यात्रियों ने फ्लोरिडा से ड्रैगन अंतरिक्ष यान में भारतीय समयानुसार दोपहर 12:01 बजे उड़ान भरी। उड़ान के 10 मिनट बाद यान ने पृथ्वी की परिक्रमा शुरू कर दी।

3000 रुपये में एक साल के लिए फास्टैग पास; निजी गाड़ियां 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगी

निजी वाहनों के लिए अब फास्टैग आधारित 'पास' शुरू किया जाएगा। सालाना 3000 रुपये फीस वाले इस पास की शुरुआत 15 अगस्त से होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह 'पास' एक वर्ष अथवा 200 यात्राओं (जो पहले पूर्ण हो) के लिए वैध होगा। इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा अधिक किफायती होगी और 60 किलोमीटर की परिधि में टोल को लेकर चिंता समाप्त होगी। टोल पर प्रतीक्षा समय और विवाद भी कम होंगे। 'पास' अनिवार्य नहीं है, यह एक वैकल्पिक सुविधा है। फास्टैग की मौजूदा प्रणाली यथावत जारी रहेगी।

भूपेंद्र यादव बने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को सर्वसम्मति से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें यह पद 16 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित IBCA की पहली सभा में सौंपा गया। IBCA भारत की एक पहल है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर की थी। यह संगठन बड़ी बिल्लियों (Big Cats) के संरक्षण के लिए एक बहुराष्ट्रीय और बहु-एजेंसी गठबंधन है, जिसमें 95 रेंज देशों, गैर-रेंज देशों, संरक्षण भागीदारों, और वैज्ञानिक संगठनों को शामिल किया गया है, जो बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में संलग्न हैं।

भारत को मिली पहली राष्ट्रीय रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री

भारत को पहली राष्ट्रीय रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री मिल गई है, जिससे अब दुर्लभ रक्त समूह की तलाश आसान हो गई है। केंद्र सरकार ने ई-रक्तकोष पोर्टल में रेयर ब्लड डोनर का पंजीकरण शुरू किया है। बॉम्बे फेनोटाइप जैसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप वाले मरीजों को इससे तत्काल मदद मिलेगी। सीआरएमसीएच की निदेशक डॉ. मनीषा मडकाइकर के अनुसार, देश में 4,000 से अधिक ब्लड बैंक हैं, लेकिन दुर्लभ रक्त की पहचान मुश्किल होती है। यह रजिस्ट्री अब रक्त की उपलब्धता की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी और त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।

भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा गाइडेड मिसाइल युद्धपोत 'आईएनएस तमाल'

भारतीय नौसेना के रूस में निर्मित गाइडेड मिसाइल युद्धपोत 'आईएनएस तमाल' को रूस के तटीय शहर कलिनिनग्राद में नौसेना में शामिल किया जाएगा। गाइडेड मिसाइल युद्धपोत 'आईएनएस तमाल' अनेक मिसाइलों और निगरानी प्रणालियों को ले जाने में सक्षम है। अधिकारियों ने बताया कि जहाज में 26 प्रतिशत घटक स्वदेशी हैं, जिसमें समुद्र और जमीन दोनों पर निशाना साधने के लिए ब्रह्मोस लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल भी शामिल है। भारतीय नौसेना के अनुसार, युद्धपोत 'आईएनएस तमाल' 125 मीटर लंबा है और इसका वजन 3900 टन है।

इसरो करेगा बंगाल की खाड़ी में क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पहले मानव रहित गगनयान मिशन के प्रक्षेपण से पहले यात्रियों की बचाव प्रणाली क्रू एस्केप सिस्टम के दूसरे परीक्षण की तैयारी में जुट गया है। यह टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट (TV-D2) मिशन है। इसमें उन आपात स्थितियों से बचाव की परिकल्पना की जाती है, जो मिशन लॉन्च करते समय या पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद पैदा हो सकती हैं। इस मिशन के दौरान एक दबाव रहित क्रू मॉड्यूल को विशेष रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा।

त्रिपुरा बना भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य

त्रिपुरा 23 जून को देश का पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। इसके साथ ही यह मिजोरम तथा गोवा के बाद ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यहां रवींद्र भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री माणिक साहा की मौजूदगी में यह घोषणा की। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री साहा ने इस उपलब्धि को त्रिपुरा के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल करार दिया। उन्होंने कहा, "मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा अब भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है।"

QS Rankings 2026: इस बार 54 भारतीय संस्थान शामिल

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस साल 106 देशों की लगभग 1500 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने अपनी जगह बनाई है। इस रैंकिंग में भारत की कुल 54 शिक्षा संस्थान भी शामिल है, जिसमें आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास ने पिछले सालों की तुलना में सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। दरअसल वर्ष 2015 में क्यूएस रैंकिंग में भारत के केवल 11 संस्थानों को जगह मिली थी, लेकिन इस साल क्यूएस रैंकिंग में भारत के 54 शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है।

मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल का शुभारंभ

देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल का संयुक्त रूप से मानेसर में लोकार्पण किया गया। 45 एकड़ में फैले इस टर्मिनल से हर साल साढ़े चार लाख कारें मालगाड़ियों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में भेजी जाएंगी। इस पूरी परियोजना पर 1171.91 करोड़ रुपये की लागत आई है।

अंतरराष्ट्रीय

60 साल बाद मिला चांदीपुरा वायरस का इलाज, बच्चों की जान बचाने में मिलेगी बड़ी राहत

भारत के वैज्ञानिकों ने 60 साल पुरानी जानलेवा बीमारी चांदीपुरा वायरस की दवा खोज ली है। यह वायरस 1965 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले के चांदीपुरा गांव में पहली बार मिला था, इसलिए इसका नाम चांदीपुरा पड़ा। यह एक रैब्डोवायरस है, जिससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में खासकर बच्चों की मौतें हुई हैं। कोरोना और निपाह जैसे वायरस के बीच यह कम चर्चित लेकिन बेहद घातक संक्रमण रहा है। नई दवा से अब इस संक्रमण का इलाज संभव हो गया है, जिससे मरीज की जान बचाना आसान होगा और महामारी नियंत्रण में मदद मिलेगी।

AviList: पक्षी विज्ञान को मिली नई वैश्विक पहचान

चार वर्षों की मेहनत और शोध के बाद AviList, दुनिया की पहली वैश्विक एकीकृत पक्षी सूची, आधिकारिक रूप से जारी की गई। यह सूची 11,131 प्रजातियों और 19,879 उप-प्रजातियों सहित कुल 46 गणों और 252 कुलों को समाहित करती है। Working Group on Avian Checklists के नेतृत्व में तैयार यह सूची अब IOC और Clements जैसी पूर्ववर्ती सूचियों का स्थान लेगी। AviList हर वर्ष अद्यतन होगी और वैश्विक पक्षी संरक्षण, शोध व नीति निर्माण के लिए एक साझा वैज्ञानिक भाषा का कार्य करेगी।इस सूची को BirdLife International, Cornell Lab of Ornithology, American Ornithologists' Union और Avibase जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार किया है।

भारत की तेल मांग में 2030 तक 10 लाख बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी: IEA

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक भारत, अपनी शानदार आर्थिक वृद्धि के चलते वर्ष 2030 तक वैश्विक तेल मांग वृद्धि का नेतृत्व करेगा। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 10 लाख बैरल प्रतिदिन (BPD) की मांग बढ़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार, इस दशक के अंत तक वैश्विक तेल मांग में कुल 25 लाख बैरल प्रतिदिन की वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ ही तेल की कुल वैश्विक मांग 2030 तक 10.55 करोड़ बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकती है।

इजराइल से अब तक 3394 भारतीय नागरिक लौटे

ऑपरेशन सिंधु के तहत 25 जून सुबह 224 भारतीय नागरिक इजराइल से भारत लौटे। ईरान-इजराइल के तनाव के बीच दोनों देशों से अब तक 3394 भारतीयों को भारत लाया जा चुका है। उधर, भारतीय दूतावास ने बताया था कि ईरान और इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान शुरू किए गए भारतीयों को निकालने के अभियान को बंद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है। दूतावास ने इवैक्युएशन (लोगों को निकालने) के लिए नए नामों को रजिस्टर करने के लिए खोली गई डेस्क को बंद कर दिया।

दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश बना भारत : IEA रिपोर्ट

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत पिछले पांच वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं भारत से आगे सिर्फ चीन और अमेरिका हैं। IEA ने कहा कि भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह है शहरी और ग्रामीण इलाकों में तेजी से निर्माण, घरों में एयर कंडीशनर और अन्य उपकरणों का बढ़ता उपयोग, और औद्योगिक क्षेत्रों की ऊर्जा जरूरतें हैं। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश ने सभी ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन में तेजी से विस्तार किया है।

30 मिनट में 130 किमी का हवाई सफर सिर्फ 700 रुपए में

सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बाद दुनिया में जल्द इलेक्ट्रिक विमानों का दौर शुरू हो सकता है। हाल ही अमरीका में दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक विमान ने उड़ान भरी। इसने ईस्ट हैम्पटन से न्यूयॉर्क के जॉन एफ. कैनेडी एयरपोर्ट तक 130 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 30 मिनट में तय की। यह परीक्षण उड़ान थी। इसी साल के अंत तक ऐसे विमानों की कमर्शियल उड़ानों के लिए यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) से मंजूरी मिलने के आसार हैं।

2035 तक रक्षा खर्च जीडीपी का 5% करेगी नेटो रूस से खतरे को बताया वास्तविक

हेग (नीदरलैंड्स) में आयोजित नाटो सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2035 तक रक्षा और सुरक्षा पर कुल जीडीपी का 5% खर्च करने पर सहमति जताई। घोषणा-पत्र के अनुसार, 3.5% राशि रक्षा क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकताओं पर और 1.5% सुरक्षा ढांचे व औद्योगिक अड्डों के सुदृढ़ीकरण पर खर्च की जाएगी। नाटो प्रमुख मार्क रुटे ने कहा कि यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता इस वर्ष 58 अरब डॉलर से अधिक होगी। उन्होंने यूरोप और कनाडा से अधिक योगदान की अपील की। रुटे ने रूस को अल्पकालिक व दीर्घकालिक खतरा बताया और कहा कि अटलांटिक के दोनों ओर रक्षा क्षमताओं का तेजी से विकास आवश्यक है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षामंत्री एडमिरल डोंग से की बातचीत

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षामंत्री एडमिरल डोंग जून से क्विंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान अलग से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने परस्पर संबंधों से जुड़े मुद्दों पर रचनात्मक विचार साझा किए। रक्षा मंत्री ने लगभग छह वर्ष बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर शुरू होने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की।

ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं होंगे जिनपिंग-पुतिन

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 6-7 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। जिनपिंग की अनुपस्थिति की पुष्टि होने पर यह पहला अवसर होगा जब वे इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस की ओर से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भाग लेंगे, जबकि पुतिन वीडियो लिंक के माध्यम से सम्मेलन से जुड़ेंगे। वर्ष 2023 में भी पुतिन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उनके खिलाफ आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

स्रोत : pib, newsonair, ptinews, aninews

खेल / कला

नीरज चोपड़ा ने 4 दिन के अंदर दूसरा टूर्नामेंट जीता, गोल्डन स्पाइक मीट में नंबर-1 रहे

भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 24 जून को गोल्डन स्पाइक मीट में पहला स्थान हासिल किया है। वे लगातार दूसरे टूर्नामेंट में नंबर-1 पर रहे हैं। नीरज ने 4 दिन पहले 20 जून को पेरिस डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल किया था। नीरज ने 24 जून की रात को चेक रिपब्लिक (ओस्त्रावा) में आयोजित इस टूर्नामेंट में 85.29 मीटर भाला फेंका और पहले स्थान पर रहे। द. अफ्रीका के डोव स्मित (84.12 मीटर) पर्सनल बेस्ट के साथ दूसरे और ग्रेनाडा के एंडरसन पेटर्स (86.63 मीटर) तीसरे नंबर पर रहे। नीरज इस समय वर्ल्ड एथलेटिक्स के कॉन्टीनेंटल टूर पर हैं। इस टूर्नामेंट में 9 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। उन्होंने को पेरिस डायमंड लीग भी जीती थी।

दिव्या देशमुख ने वर्ल्ड नंबर-1 को हराया

भारत की होनहार युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा और साहस का लोहा मनवाया है। लंदन में आयोजित वर्ल्ड ब्लिट्ज टीम चेस चैंपियनशिप में उन्होंने दुनिया की नंबर एक महिला खिलाड़ी चीन की हाउ यिफान को हराकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हाउ यिफान को शतरंज जगत में अपराजेय माना जाता है। यही कारण है कि दिव्या की यह जीत ऐतिहासिक मानी जा रही है।

अपडेटेड रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज ने फिर हासिल किया शीर्ष स्थान

भारतीय स्टार स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे खिलाड़ी रैंकिंग के नवीनतम अपडेट के बाद वनडे क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज के रूप में अपना ताज फिर से हासिल कर लिया है। मंधाना 2019 के बाद पहली बार शीर्ष पर पहुंची हैं, जब दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड ने आईसीसी द्वारा अपडेट की गई रैंकिंग में 19 रेटिंग अंक गंवाए हैं। मंधाना हाल के दिनों में वनडे बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल रही हैं, लेकिन बाएं हाथ की यह बल्लेबाज 2019 की शुरुआत से शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच पाई है क्योंकि छह साल से अधिक का सूखा खत्म हो गया है। मंधाना हाल ही में शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने कोलंबो में श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में शानदार शतक बनाया था।

भारत ने छह स्वर्ण पदकों के साथ जीता टीम खिताब

भारतीय पुरुष फ्रीस्टाइल टीम ने अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए छह स्वर्ण और एक रजत पदक के साथ टीम खिताब जीता। भारत ने इस टूर्नामेंट में अभूतपूर्व सफलता हासिल करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में टीम चैंपियनशिप अपने नाम की। महिला टीम ने सभी 10 भारवर्गों में पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में निखिल (61 किग्रा), सुजीत कलकल (65 किग्रा), जयदीप (74 किग्रा), चंद्र मोहन (79 किग्रा), सचिन (92 किग्रा) और विक्की (97 किग्रा) ने स्वर्ण पदक जीते। जसपूरन सिंह ने 125 किग्रा वर्ग में रजत पदक हासिल किया। वहीं ग्रीको-रोमन टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण सहित कुल तीन पदक अपने नाम किए।

टेस्ट में पहली बार 5 शतक के बावजूद हारी टीम

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत पहली ऐसी टीम बनी जिसके प्लेयर्स ने 5 शतक लगाए इसके बावजूद टीम को हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में भारत को 5 विकेट से हरा दिया। लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड ने 371 रन का टारगेट 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 24 जून को मैच के आखिरी दिन मोहम्मद सिराज की इंग्लिश ओपनर्स बेन डकेट और जैक क्रॉली से बहस हो गई। बेन डकेट ने भारत के खिलाफ चौथी पारी में हाईएस्ट स्कोर बनाया। जसप्रीत बुमराह से क्रॉली का कैच छूटा।

हिंदी में पार्वती तिर्की को युवा व सुशील शुक्ल को बाल साहित्य पुरस्कार

देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी ने वर्ष 2025 के लिए युवा साहित्य पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा कर दी है। यह निर्णय अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में कार्यकारी मंडल की बैठक में लिया गया। इस बैठक में 23 भाषाओं के युवा रचनाकारों और 24 भाषाओं के बाल साहित्यकारों को सम्मानित करने की मंजूरी दी गई। डोगरी भाषा का युवा पुरस्कार बाद में घोषित किया जाएगा। हिंदी में युवा साहित्य पुरस्कार झारखंड की पार्वती तिर्की को उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए दिया गया। हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार सुशील शुक्ल को लघुकथा संग्रह एक बटे बारह के लिए प्रदान किया गया है। सभी विजेताओं को आगामी समारोह में एक प्रशस्तिपत्र और 50,000 की नकद राशि प्रदान की जाएगी।

टी20: ब्रावो बने सीपीएल में नाइट राइडर्स के हेड कोच

कैरेबियन प्रीमियर लीग के आगामी सीज़न के लिए त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो को अपना नया हेड कोच नियुक्त किया है। ब्रावो ने 2013 से 2024 के बीच सीपीएल में 107 मैच खेले और 8.74 की इकोनॉमी से 129 विकेट लिए। उन्होंने त्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए 11 में से 9 सीज़न में भाग लिया और पाँच बार खिताब जीता। ब्रावो ने सोशल मीडिया पर लिखा, "नाइट राइडर्स का हेड कोच बनने का मौका मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। यह टीम मेरे दिल के बहुत क़रीब है।"

ब्रिटेन के कोच बार्न्स पर आजीवन प्रतिबंध

यूके एथलेटिक्स ने कोच और रेस डायरेक्टर क्रिस बार्न्स पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। उन पर खिलाड़ियों से अनुचित संबंध, नस्लवादी और महिला-विरोधी भाषा के साथ-साथ आचार संहिता के उल्लंघन जैसे नौ आरोप सिद्ध हुए। बार्न्स ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया। इनमें खेल को बदनाम करना और अनुचित भाषा का प्रयोग शामिल था। उन्होंने चैट में खिलाड़ियों से नस्ली बातें भी बोली थीं। बैन के चलते बार्न्स ब्रिटेन व उत्तरी आयरलैंड में किसी भी एथलेटिक्स गतिविधि से नहीं जुड़ सकते हैं।

किर्स्टी कोवेंट्री आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनीं

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने 23 जून 2025 को अपनी 131वीं वर्षगांठ एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में मनाई, जब जिम्बाब्वे की पूर्व ओलंपिक तैराक किर्स्टी कोवेंट्री को औपचारिक रूप से IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई। यह ऐतिहासिक पदभार-ग्रहण समारोह स्विट्ज़रलैंड के लॉज़ान स्थित ओलंपिक हाउस में आयोजित हुआ।

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

सत्र 2026-27 से नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने तथा पूर्व संचालित संस्थाओं द्वारा नवीन विषय / संकाय / पाठ्यक्रम / सीट वृद्धि प्रारंभ करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने बाबत्।

अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025

छ.ग. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत समितियाँ यदि वर्ष 2026-27 से उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए नई संस्था (नवीन अशासकीय महाविद्यालय) प्रारंभ करना चाहते है या उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पूर्व संचालित संस्थाएँ नया विषय संकाय, नया पाठ्यक्रम, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री प्रारंभ करने या उच्चतर कक्षाएं प्रारंभ करने के इच्छुक है, ऐसी संस्थाएं दिनांक 01.07.2025 से 31.07.2025 के मध्य निर्मित बैंक चालान राशि 5000/- रू. (चालान जमा करने लिए मुख्य शीर्ष 0202-शिक्षा खेल कला और संस्कृति, 01-सामान्य शिक्षा, 203-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा, ट्यूशन और अन्य शुल्क, 800-अन्य प्राप्तियां) की मूल प्रति सहित अथवा दिनांक 01.07.2025 से 31.07.2025 के मध्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त, उच्च शिक्षा के नाम पर निर्मित बैंक ड्राफ्ट राशि 5000/-रू. जो रायपुर में देय हो, के साथ अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में दिनांक 31.07.2025 के सायं 05:30 बजे तक जमा कर सकते है।

नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने तथा नवीन कक्षा/संकाय/अतिरिक्त विषय / सीट वृद्धि हेतु निर्धारित आवेदन प्रारूप विभाग के वेबसाइट www.highereducation.cg.gov.in के Notice Board अंतर्गत Advertisement में जाकर प्राप्त की जा सकती है। अपूर्ण आवेदन एवं अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
अटल नगर, नवा रायपुर

आर.ओ.73/जी-252601731/6

MAHATMA GANDHI UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND FORESTRY

MAHANT BISAHU DAS COLLEGE OF HORTICULTURE AND RESEARCH STATION

I.T.I. New Building, First Floor, GAURELA-PENDRA MARWAHI 495117

Email chrs.gpm@mguvv.ac.in

NO./MBD CHRS/Estt./2024-25/156 Date: 24/06/2025

ADVERTISEMENT FOR WALK-IN-INTERVIEW

Applications are invited from eligible candidates to appear in a walk-in-interview for Guest Teacher in the following disciplines (purly on contractual basis). The candidates shall submit their dully filled application form to prescribed format (all copies of certificates, relevant document of experience and research papers, etc. in single PDF file) through E-mail at chrs.gpm@mguvv.ac.in

For detailed information visit the website www.mguvv.ac.in

Last Date for submission of Application form 06/07/2025.

Venue of Interview - MBD CHRS, I.T.I. New Building, First Floor, Gaurella, Dist. GPM.

S. No	Discipline	No. of posts	Date of Interview	Time
1	Vegetable Science	01	14/07/2025	10:00 AM Onwards
2	Plant Pathology	01	14/07/2025	2:00 PM onwards
3	Floriculture and Landscape Architecture	01	15/07/2025	10:00 AM Onwards
4	Soil Science and Agricultural Chemistry	01	15/07/2025	2:00 PM onwards
5	Agricultural Extension	01	16/07/2025	10:00 AM Onwards

Honorarium:-

1. Rs.1800/-Per Day (Max: Rs. 40000/-Per month) for Ph.D & NET qualified in relevant subject
2. Rs.1800/-Per Day (Max: Rs. 40000/-Per month) for Ph.D in relevant subject
3. Rs.1500/-Per Day (Max: Rs. 36000/-Per month) for M.SC. & NET qualified in relevant subject

Dean
M.B.D. College of Horticulture & Research Station
Gaurela-Pendra-Marwahi (C.G.)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख

अरण्य भवन, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़

(प्रशासन/अराजपत्रित)

फोन: 0771-2512817 फैक्स: 0771-2512817 ईमेल: apccfng@gmail.com

छत्तीसगढ़ राज्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत विभिन्न वनमण्डलों में वनरक्षक के 1484 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु मैनुअल एवं कृत्रिम प्रकाश में कराये गये अभ्यर्थियों का दक्षता परीक्षण की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत विभिन्न वनमण्डलों में वनरक्षक के 1484 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षण की कार्यवाही दिनांक 16.11.2024 से 20.12.2024 तक आयोजित की गई थी, जिसमें मैनुअल एवं कृत्रिम प्रकाश में कराये गये अभ्यर्थियों का दक्षता परीक्षण, डिजीटल टेक्नोलॉजी सिस्टम के माध्यम से कराया जाना है। उक्त भर्ती प्रक्रिया दिनांक 07.07.2025 से प्रारंभ किया जा रहा है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र, दिनांक 27.06.2025 से वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वेबसाईट www.forest.cg.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। तकनीकी कारणों से विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड नहीं हो पाने की स्थिति में आवेदित वनमण्डल कार्यालय अथवा भर्ती के लिये चयनित नोडल वनमण्डल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही Technical Support हेतु WhatsApp No.7489986772 में अपनी समस्या WhatsApp Message भी कर सकते हैं।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रशा./अराज.)
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

आर.ओ.74/जी-252601734.6

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक / स्था.अधि. 254/2025/583 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18/06/2025

छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/एफ 1-82/2024/सत्रह /एक, दिनांक 14.08.2024 से वित्त विभाग के जावक क्रमांक 501/वित्त विभा/ब-3/2024, दिनांक 07.08.2024 द्वारा जिला स्तरीय तृतीय श्रेणी के कुल 25 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु अनुमति प्राप्त है। उक्त पदों को सीधी भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, के वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किये जायेंगे। परीक्षा संबंधित विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

क्र	पदनाम	वेतनमान	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या
1	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	लेवल-6 वेतन 5200-20200	तृतीय	25

टीपः-

1. पदों से संबंधित नियम एवं शर्तें विस्तृत विज्ञापन में व्यापम के वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in में पृथक से अपलोड की जावेगी।
2. उपरोक्त नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 में जारी निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होंगी।
3. परीक्षा के नियम एवं शर्तें पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापम के वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in पर पृथक से अपलोड की जावेगी।
4. पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

आयुक्त सह संचालक
स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़

आर.ओ.75/जी-252601764.6

कार्यालय अधिष्ठाता, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 3394 / स्था/ शाचिम / 2025 **जगदलपुर, दिनांक 25/06/2025**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.) हेतु स्वीकृत निम्नलिखित शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए संविदा भर्ती हेतु कार्यालय अधिष्ठाता, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर में प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह के गुरूवार को प्रातः 11:00 बजे वाक इन इन्टरव्यू आयोजित किया जाता है, के अनुक्रम में इस माह भी आयोजित की जावेगी।

इस संस्था के विभिन्न विभागों में आरक्षित/अनारक्षित वर्ग के चिकित्सा शिक्षकों, चिकित्सकों, सीनियर रेसीडेंट, जूनियर रेसीडेंट, प्रदर्शक / ट्यूटर एवं अन्य चिकित्सक प्रथम, द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों पर आरक्षण रोस्टर अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु एन०एम०सी० के मापदण्ड की अर्हता अधिकतम आयु 70 वर्ष तक नियुक्ति मान्य होगी) रखते हों। योग्य उम्मीद्वार (MBBS, PG, Certificate, Registration, Pan Card, Experience Certifi cate, Domicile Certificate, Caste Certificate and Relieving letter from previous institution, applicable etc.) एवं उनकी स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ इस महाविद्यालय में कार्यालयीन समय में स्वयं के व्यय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते है।

क्र	प्राध्यापक	एक मुश्त संविदा वेतन	रिक्त पद	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	अ.पि.वर्ग	अन्य
1	प्राध्यापक	2,25,000/	04	01	00	01	02
2	सह प्राध्यापक	1,85,000/-	13	04	00	02	07
3	सहायक प्राध्यापक	1,25,000/-	24	08	01	03	13
4	सीनियर रेसिडेंट(पी.जी.)	95,000/-	26	09	01	03	13
5	जूनियर रेसिडेंट	63,000/-	21	07	00	03	11
6	प्रदर्शक	53,000/-	04	01	00	01	02

चिकित्सा शिक्षकों की विभागवार रिक्त पदों की जानकारी जून-2025

क्र	पदनाम	रिक्त पद	विभागवार रिक्त पद
1	प्राध्यापक	4	एनाटॉमी- 01
			फार्माकोलॉजी - 01
			माईक्रोबायोलॉजी 01
			रेडियोडायग्नोसिस - 01
2	सह प्राध्यापक	13	एनाटॉमी- 01
			फिजियोलॉजी - 01
			बायोकेमेस्ट्री- 01
			फार्माकोलॉजी 01
			पैथोलॉजी -01
			माईक्रोबायोलॉजी 01
			मेडिसीन-01
			चर्म रोग- 01
			मनोरोग- 01
			सर्जरी-01
			नेत्ररोग- 01
			स्त्रीरोग एवं प्रसूति-01
			रेडियोथेरेपी-01
3	सह प्राध्यापक	23	एनाटॉमी- 02
			फिजियोलॉजी बायोफिजिक्स - 02
			फार्माकोलॉजी फार्मासिटीकल केमेस्ट्री - 03
			पैथोलॉजी 02
			फॉरेंसिक मेडिसीन- 01
			पी.एस.एम. एपीडेमोलॉजिस्ट - 04
			चर्म रोग- 01
			मनोरोग-01
			शिशुरोग - 02
			सर्जरी-02
			निश्चेतना - 02
			रेडियोडायग्नोसिस - 01
4	सीनियर रेसिडेंट	26	मेडिसीन- 05
			शिशुरोग-01
			टी.बी.एण्ड चेस्ट-2
			मनोरोग-02
			सर्जरी- 02
			नाक, कान एवं गला-01
			निश्चेतना- 08
			चर्म रोग- 01
			रेडियोडायग्नोसिस-04
5	प्रदर्शक	5	फॉरेंसिक मेडिसीन-02
			चर्म रोग-01
			नेत्ररोग-01
			निश्चेतना-01
6	जूनियर रेसिडेंट	24-3=21	मेडिसीन- 06
			चेस्ट एण्ड टी.बी.- 01
			सर्जरी- 05
			अस्थि रोग- 04
			नाक, कान एव गला -02
			नेत्ररोग - 03
			स्त्रीरोग एवं प्रसूति-03

विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर की वेबसाईट- gmcjagdalpur.ac.in पर उपलब्ध है। रिक्त पदों की संख्या समय-समय पर परिवर्तनीय है।

अधिष्ठाता
स्व. बी.आर.के.स्मृति
शाचिम डिमरापाल, जगदलपुर

आर.ओ.76/जी-252601808.4

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला बलरामपुर रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/935/स्था/एनएचएम/2025 बलरामपुर दिनांक 24/06/2025

सूचना

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर के विज्ञापन क्रमांक/257/स्था/एनएचएम/2025 बलरामपुर दिनांक 02/05/2025 के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी-RBSK (पुरुष), फिजियोथेरापिस्ट-NHM. प्रोग्राम एसोसिएट-DPHN, डेंटल सर्जन-NOIP, ऑडियोलॉजिस्ट NPPCD, ऑपथालमिक असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, लैब सुपरवाईजर-STLS. एस. टी. एस, फार्मासिस्ट RBSK. टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन NPPCD, लैब टेक्निशियन-NHM. लैब टेक्निशियन-BPHU, सचिविक सहायक-SNCU. कनिष्ठ सचिविक सहायक-NHM. फीडिंग डेमोन्सट्रेटर-NRC, काउंसलर एवं अटेन्डेन्ट NRC के संविदा रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु दिनांक 21/05/2025 तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे जिसके परिपालन में प्राप्त समस्त आवेदनों का पंजीयन सह पात्र/अपात्र की सूची तैयार कर ली गई है। जिसकी विस्तृत जानकारी जिला बलरामपुर को वेबसाईट www.balrampur.gov.in एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वारूय अधिकारी जिला बलरामपुर-रामानुजगंज छ.ग. के सूचना पटल से प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी अभ्यर्थी को उक्त तारतम्य में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज छ०ग० में दिनांक 04/07/2025 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे के मध्य स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना दावा आपत्ति निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले दावा-आपत्ति अभ्यावेदन मान्य नहीं होगें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बलरामपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज (छ०ग०)

कार्यालय प्रबंध संचालक

जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, बलरामपुर

जिला-बलरामपुर (छ.ग.)

Phone: 07831-299166 E-mail: mdeastsurguja@gmail.com

क्रमांक/वनो./स्था./2025/3550 बलरामपुर दिनाँक 18/06/2025

-:: प्रबंधक की नियुक्ति हेतु विज्ञापन-

जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, बलरामपुर के प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में प्रबंधक पद के रिक्त पद के भर्ती करने के लिए योग्य उम्मीदवारों से दिनांक 23.07.2025 समय 5:00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, बलरामपुर के नाम से संबोधित हो। आवेदन रजिस्टर एडी/ स्पीड़ पोस्ट से भेजा जावें।

क्र.	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का नाम	पदनाम	कुल रिक्त पद	आरक्षित वर्ग	वेतन एक मुश्त प्रतिमाह	प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में आने वाले तेन्दूपत्ता फड़/गांव का नाम जहां के निवासी से आवेदन पत्र प्राप्त होना है	कार्यालय जहां आवेदन पत्र प्रेषित किया जाना है।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रामानुजगंज	प्रबंधक	01	अनारक्षित	20675.00	देवगई,चन्द्रनगर, बुलगांव, भवरमाल, नगरा, देवीगंज, आरागाही, पुरानडीह, सेन्दूर, मितगई, रामानुजगंज, परसाटोली, पुरूषोत्तमपुर, लुरगी, कनकपुर, रामपुर एवं टकिया	प्रबन्ध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, बलरामपुर जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
2	चान्दो	प्रबंधक	01	अनारक्षित	20675.00	कन्द्री, शाहपुर, चान्दो, जोधपुर, नवाडीहकला, करचा, सोनवर्षा, कुरडीह, इदरीकला, खजुरियाडीह, धंजी, सुखरी, चुरूंडा, जावाखांड, बसकेपी एवं गौतमपुर	
3	बाजरा	प्रबंधक	01	अनारक्षित	20675.00	बाजरा, मदनपुर, ककनेशा 'अ' ककनेशा 'ब' गुरमुटी, सरूवत, फुलीडुमर एवं शान्तिपुर	
4	डिपाडीहकला	प्रबंधक	01	अनारक्षित	20675.00	डिपाडीहकला, लहसुनपाट, जोकापाट, भरतपुर, जरहाडीह, डिपाडीह, जम्होर, अयारी एवं महुआडीह	

1. **आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23.07.2025. शाम 5:00 बजे तक**
2. **आवेदन पत्रों की जांच 08.08.2025 तक**
3. **वरीयता सूची का प्रकाशन की तिथि 18.08.2025.** (जिसे वनमण्डल/जिला वनोपज सहकारी संघ मर्या. बलरामपुर कार्यालय के सूचना पटल पर एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्या. रायपुर के वेबसाइट www.cgmfpfed.org एवं कलेक्टर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के वेबसाइट www.balrampur.gov.in पर देखा जा सकेगा।
4. दावा आपत्ति की तिथि 25.08.2025 सायं 3 बजे तक (जिला यूनियन बलरामपुर कार्यालय में)
5. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताएं आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, चयन प्रक्रिया तथा वेतन भत्ते संबंधित जानकारी जिला वनोपज सहकारी संघ मर्या. बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है या छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर के वेबसाइट www.cgmfpfed.org एवं कलेक्टर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के वेबसाइट www.balrampur.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रबंध संचालक
जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित
बलरामपुर जिला-बलरामपुर

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर (छ.ग.)

राज भवन के पास पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, रोजगार कार्यालय के बाजू

दूरभाष नम्बर-0771-4280486 ई.मेल dcporaipur@gmail.com, icpsraipur@gmail.com

क्रमांक/228/मबावि/मि.वा./2025-26 रायपुर, दिनांक 19.06.2025

बच्चों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2025

हेतु प्रविष्टियों की अंतिम तिथि 31.07.2025

महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित करने हेतु प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। पात्र बच्चों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र सम्मान के रूप में प्रदान किया जावेगा। इस पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित है।

इस वर्ष उक्त पुरस्कार हेतु दिनांक 31.07.2025 तक केवल ऑन-लाईन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये है, आवेदन हेतु लिंक https://awards.gov.in/ है। लॉगिन की जानकारी निम्नानुसार है-

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-रायपुर (छ.ग.)

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़

नवा रायपुर अटल नगर

(इंद्रावती भवन, ब्लाक-4, प्रथम तल, नवा रायपुर-अटल नगर

0771-2510530 E-mail id: dettrgcg@rediffmail.com)

:: शुद्धि-पत्र ::

छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास विभाग के अधीन संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (ITI) एवं विशेष (आदिवासी) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (ITI) में सत्र 2025-26 एवं 2025-27 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन रजिस्ट्रेशन हेतु विज्ञापन समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की गई है। जारी विज्ञापन की प्रति के बिन्दु क्रमांक-1, 2 एवं 9 पर त्रुटिवश विभागीय वेबसाईट cg.iti.admissions.nic.in का उल्लेख है, जबकि नए विभागीय वेबसाईट cgiti.admissions.nic.in है तथा बिन्दु क्रमांक 7 व्यवसाय ड्रायवर कम मैकेनिक में प्रवेश के लिये आवेदक का न्यूनतम आयु 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष एवं शेष व्यवसायों के लिये 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, उच्चतम आयु सीमा का बंधन नहीं है, का उल्लेख है। जबकि न्यूनतम आयु की गणना 1 अगस्त 2025 से की जानी है।

संचालक
रोजगार एवं प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

दूरभाष (का.) 0771-2439564, 0771-2331204, वेबसाईटः www.psc.cg.gov.in

क्रमांक/732/01/परीक्षा/2025 नवा रायपुर, दिनांक 20/06/2025

सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग)-2025 की संशोधित समय-सारणी

आयोग के विज्ञापन क्र. 01/2025/परीक्षा दिनांक 03.03.2025 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 03/2025/परीक्षा/दिनांक 11.04.2025 के तहत सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग)-2025 की लिखित परीक्षा दिनांक 06 जुलाई 2025 को जिला-अम्बिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, जगदलपुर एवं रायपुर (छ.ग.) के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जानी थी, परंतु अपरिहार्य कारणों से उक्त परीक्षा अब दिनांक 12.07.2025 को आयोजित की जाएगी। जिसकी समय-सारिणी निम्नानुसार हैः-

DATE	DAY	TIME	SUBJECT
12.07.2025	SATURDAY	10:00 AM TO 01:00 PM	PART-1 GENERAL KNOWLEDGE OF CHHATTISGARH PART-2 APTITUDE TEST

उक्त परीक्षा हेतु आयोग कार्यालय द्वारा प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि के 10 दिवस पूर्व जारी किए जावेंगे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र अथवा प्रवेश पत्र जारी किए जाने संबंधी कोई सूचना या SMS व्यक्तिशः नहीं भेजा जायेगा।

सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)

आर.ओ.77/जी-252601703.5

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद

विकास भवन, तृतीय तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक

नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ 492101

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालक, सामाजिक अंकेक्षण इकाई के संविदा पद के लिये विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसके परिपेक्ष्य में प्राप्त आवेदनों को सूचीबद्ध किया गया है। जिसका विस्तृत विवरण **www.cgstate.gov.in** एवं **mgnrega.cg.nic.in** में देखी जा सकती है।

इस संबंध में किसी को दावा-आपत्ति होने पर आवेदन स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से दिनांक 11.07.2025 को संध्या 5:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है।

आयुक्त
महात्मा गांधी नरेगा

आर.ओ.78/संवाद-44309/5

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छत्तीसगढ़)

Email-cmho.kcg2022@gmail.com

क्रमांक/एनएचएम-एच.आर./संविदा नियुक्ति/2025/4150 खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, दिनांक 17/06/25

-: संविदा भर्ती विज्ञापन :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 मे जिले के लिये स्वीकृत आर.ओ.पी.-2025-26 के अनुसार तथा मानव संसाधन नीति 2018 में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/जिला स्वास्थ्य समिति, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई छ.ग. के अंतर्गत निम्न संविदा पदों में भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

पद क्र	पद नाम	कार्यक्रम	कुल रिक्त पद	कुल रिक्त पदों का प्रवर्गवार विवरण				न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	एकमुश्त मानदेय प्रतिमाह
				UR	ST	SC	OBC		
1	Social Worker	NMHP	1	1	0	0	0	एम.फिल साइकेट्रिक सोशल वर्क को प्राथमिकता दिया जायेगा, यदि उक्त योग्यता न होने की दशा मास्टर ऑफ सोशल वर्क (रेगुलर) को प्राथमिकता दिया जावेगा।	22000/-
2	Radio Grapher (X-ray technician)	NHM	1	1	0	0	0	01. 10+2 पद्धति में 12 वी कक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। 02. क्ष-किरण तकनीशियन / रेडियोग्राफर का 03.छ.ग शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। छ.ग. पैरामेडिकल कौंसिल से रेडियोग्राफर/क्ष-किरण तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना चाहिए।	15000/-
3	O.T. Technician	NHM	1	1	0	0	0	01. जीव विज्ञान, रसायन एवं भौतिक विषय में 10+2 उत्तीर्ण। 02. ओ.टी. टेक्निशियन पैरामेडिकल कोर्स एवं छ.ग. पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।	14000/-
4	NRC Attendent	NRC	1	1	0	0	0	8^{th} passed	8800/-
5	Cook Cum Care Taker	NRC	1	1	0	0	0	8^{th} passed	8800/-
6	Cleaner (SNCU)	SNCU	1	1	0	0	0	8^{th} passed	8800/-

1. सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक सी/5-3-99/3/एक, दिनांक 24 फरवरी 2000 के अनुसार राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति के एकांकी पदों पर आरक्षण एवं आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा।
   एकांकी पद वह होगा जो किसी संवर्ग विशेष में केवल एक ही पद स्वीकृत है। इस हेतु जिले के एकांकी पद पर आरक्षण रोस्टर लागू ना करते हुए अनारक्षित पद पर भर्ती किया जावेगा।
2. उक्त भर्ती के संबंध में अंतिम आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल. पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अध्याधीन होगी।

भाग-1

आवेदन पत्र के संबंध मे दिशा-निर्देश

आवेदन पत्र के संबंध में:-

1. विज्ञापन एवं भर्ती संबंधित जानकारी का प्रकाशन खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिला के अधिकृत वेबसाईट एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के सूचना पटल व दैनिक समाचार पत्रों पर किया जावेगा। आवेदको को इसके अलावा किसी और माध्यम से कोई सूचना नही दी जावेगी।
2. आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित समस्त दस्तावेज कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल अस्पताल परिसर खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.) के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 08/07/2025 को सायं 5:00 बजे तक आवेदन पत्र प्रेषित कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
3. निर्धारित तिथि व कार्यालयीन समय उपरांत एवं अन्य किसी कारणवश विलंब या डॉक द्वारा विलंब के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा उक्त संबंध में प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार/विचार नहीं किया जावेगा न ही कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जावेगा।
4. विज्ञापित पद हेतु प्रस्तुत आवेदन के लिफाफे के ऊपर आवेदक को आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम का नाम एवं जाति संवर्ग स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
5. अभ्यर्थी को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. त्रुटिपूर्ण, अस्पष्ट, कटे-फटे, अपूर्ण आवेदन, आवेदित पद एवं जाति संवर्ग का उल्लेख नहीं होने एवं समयावधि के बाद प्राप्त आवेदनो को मान्य नही किया जावेगा। निर्धारित आवेदन प्रारूप व समयावधि मे प्राप्त आवेदन ही मान्य किये जायेंगे।
7. समस्त शैक्षणिक योग्यता/शैक्षणिक दस्तावेज मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल/संस्था/विश्वविद्यालय/डिप्लोमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से होना अनिवार्य है।
   A. आठवी की अंकसूची (पद कमांक 04, 05 एवं 06 हेतु)।
   B. दसवी की अंकसूची।
   C. बारहवीं की अंकसूची।
   D. स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्षो की अंकसूची।
   E. संबंधित डिग्री।
   F. संबंधित काउंसिल / मण्डल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
   G. सक्षम अधिकारी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र।
   H. मूल निवास प्रमाण पत्र।
   I. रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र
   J. वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (लागू हो तो)
   K. पहचान पत्र (आधार/वोटरकार्ड/ पैनकार्ड/ड्रायविंग लाइसेंस / अन्य)
8. मूल आवेदन के साथ समस्त वांछित समस्त वांछित शैक्षणिक योग्यता (समस्त सेमेस्टर / समस्त वर्ष की अंकसूची सहित) एवं अन्य संबंधित प्रमाण पत्र स्व-सत्यापित कर संलग्न कराना अनिवार्य है।
9. कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के पूर्व मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः

प्रस्तुत नही करने की दशा मे अभ्यर्थी को अपात्र किया जावेगा। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

10. आवेदक एक से अधिक पदों के लिये आवेदन कर सकते है। पृथक-पृथक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, एक लिफाफा में 02 या अधिक आवेदन पाये जाने पर 01 ही आवेदन को मान्य किया जावेगा। जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा किया गया कोई भी दावा मान्य नही होगा।

11. पद क्रमांक 04, 05, 06, हेतु आठवी का अंकसूची ग्रेडिंग पद्धति में पास होने वाले आवेदक द्वारा ग्रेडिंग गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य है तथा इस संबंध में अपने शैक्षणिक संस्था / स्कूल/शाला से कुल पूर्णांक एवं प्राप्तांक का शाला प्रभारी/प्रधान पाठक/प्राचार्य से प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

भाग-2
आयु सीमा

आयु सीमा के संबंध में:-

1. संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी। आयु की गणना अनुबंध वर्ष के दिनांक 01 जनवरी 2025 से की जावेगी। इस आयु सीमा में सभी प्रकार की छूट सम्मिलित रहेगी।

भाग-3 भर्ती प्रक्रिया
भर्ती प्रक्रिया :-

1. भर्ती प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित है :-

स.क	विवरण	स्वीकृत पदनाम	चयन प्रक्रिया हेतु अंक निर्धारण
1	कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार	**Social Worker**	1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कुल प्राप्तांको का 65 प्रतिशत 2. अनुभव 10/15 अंक (एन.एच.एम. में कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव हेतु अधिकतम 15 अंक) कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार 3. कौशल परीक्षा 10 अंक 4. साक्षात्कार 10 अंक कुल-100 अंक
		O.T. Technician	
		Radio Grapher-NHM (X-ray technician)	
2	**चतुर्थ श्रेणी**	**Cook Cum Care Taker**	**चयन** **मेरिट आधार पर** (न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मे प्राप्त अंक अनुसार) पद संबंधित अनुभवी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जावेगा।
		NRC Attendent	
		Cleaner (SNCU)	
		Cook Kum Care reker	

2. संयुक्त संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के पत्र कमांक/एन.एच.एम. / एच.आर./2022/एन.एस.2 -1637/3703 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27/02/2022 के अनुसार अभ्यार्थियों को कौशल परीक्षा के कुल अंको का न्यून्तम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है। कौशल परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में उम्मिदवारों को अपात्र श्रेणी में रखा जावेगा।

3. कौशल परीक्षा जिला मुख्यालय में ली जावेगी। जिसमें सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा / दैनिक भत्ता भुगतान नहीं किया जावेगा।

4. प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षा, साक्षात्कार दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत किया जावेगा।

क्र.	कुल विज्ञापित पदो की संख्या	कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	01	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना

5. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी, उसे वरीयता प्रदान की जावेगी।

भाग-4
संविदा अवधि/वेतन निर्धारण

संविदा अवधि/वेतन निर्धारण :-

1. यह नियुक्ति संविदा आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए होगी, कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं राज्य से प्राप्त आर.ओ.पी. में स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी।
2. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त संविदा वेतन/मानदेय देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
3. चयुनित अधिकारी/कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा एक माह के अग्रिम नोटिस या एक माह का वेतन देकर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी अथवा अधिकारी /कर्मचारी द्वारा एक माह पूर्व सूचना या एक माह का वेतन जमा कर स्वयं पद त्याग कर सकता है।

भाग-5
अनुभव संबंधी नियम/शर्ते

अनुभव संबंधी नियम / शर्तेः-

1. अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे।
2. आवेदित पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 02 अंक तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को पद से संबंधित कार्यानुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 03 अंक, अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रदान किया जायेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यानुभव का अंक तभी प्रदान किया जायेगा, जब अनुभव प्रमाण पत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्य करने का स्पष्ट उल्लेख हो एवं नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
3. कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 6 माह तक सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को 10 अंक का बोनस अंक दिया जाना है एवं सामान्य स्थिति में नियुक्त संविदा (अनियमित) कर्मचारी है उन्हे अनुभव के अधिकतम 15 अंक तक दिया जाना है। एक ही कर्मचारी को दोनो अनुभव के अंक नहीं दिया जावेगा।
4. कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान कार्य किये जाने का बोनस अंक का लाभ केवल उन्ही अभ्यर्थीयों को दिया जावेगा जिनके द्वारा कोविड-19 में कार्य करने की नियुक्ति तथा अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी नियुक्तिकर्ता द्वारा जारी संलग्न किया गया हो।
5. अनुभव प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का ओवरराईटिंग / त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में अमान्य कर दिया जायेगा।
6. अनुभव में अंको की गणना वर्षों के गुणांक के आधार पर (वर्ष पूर्ण होने पर) ही दिया जावेगा तथा 12 माह से कम होने पर अंको की गणना नहीं की जावेगी।
7. मान्यता प्राप्त निजी संस्था से प्राप्त कार्य अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यार्थियों को नियमानुसार पात्र सूची में सम्मिलित किया जावेगा, किन्तु उन्हे अनुभव का अंक प्रदान नहीं किया जावेगा।
8. अनुभव आवेदित पद अनुसार संबंधित क्षेत्र / समान कार्य प्रकृति का होना चाहिये।
9. अनुभव हेतु नियुक्ति पत्र की छायाप्रति एवं अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
10. आवेदन के साथ नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र में जारीकर्ता कार्यालय का जावक क्रमांक व तिथि/अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। अवैतनिक अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जायेगा तथा नियोक्ता / सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जायेगा।

भाग-6
दस्तावेज सत्यापन एवं चयन सूची

दस्तावेज सत्यापनः-

अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दिये गये समस्त प्रविष्टियां एवं संलग्न दस्तावेज, मूल दस्तावेज अनुसार सही होना चाहिये। अंतिम चयन के पूर्व या पश्चात दस्तावेज जाँच में पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जानकारी त्रुटिपूर्ण या अधूरी अथवा भ्रामक हो, तो उन्हे अंतिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, चयन के पूर्व/पश्चात् किसी भी समय, किसी भी पक्ष की ओर से जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उनका चयन निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा। मूल आवेदन के साथ समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज सत्यापन के समय निम्न अभिलेखो के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य हैः-

A. आठवी की अंकसूची। (पद क्रमांक 04, 05 एवं 06 हेतु)
B. दसवी की अंकसूची।
C. बारहवीं की अंकसूची।
D. स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्षों की अंकसूची।
E. संबंधित डिग्री।
F. संबंधित काउंसिल / मण्डल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
G. सक्षम अधिकारी का स्थायी जाति प्रमाणत्र।
H. मूल निवास प्रमाण पत्र।
i. रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र
J. वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (लागू हो तो)
K. पहचान पत्र (आधार / वोटरकार्ड/ पैनकार्ड / डायविंग लाइसेंस / अन्य)

अन्य (उपरोक्त क्रम अनुसार ही अभ्यर्थी स्वप्रमाणित वांछित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे।

चयन सूची :-

कौशल परीक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता अनुभव अंक

क्रमशः

अंतिम चयन सूची+शैक्षणिक योग्यता+ अनुभव अंक + कौशल एवं साक्षात्कार का अंक

प्रतीक्षा सूची :-

विज्ञापित पदों के लिए प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता सूची प्रकाशन तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष या अगली नवीन भर्ती के विज्ञापन जारी होने (जो पहले हो) तक होगी। चयन सूची में से प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी, जिससे भविष्य में होने वाले रिक्त पद तत्काल भरे जा सके। प्रतीक्षा सूची में वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लिये चयन समिति सक्षम रहेगा।

भाग-7

अन्य नियम एवं शर्ते

अन्य नियम एवं शर्तेः-

1. संविदा भर्ती नियम एवं शर्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति-2018 तथा राज्य कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जावेगा।
2. संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ रूपये 50/- के गैर न्यायिक बंध पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा। अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा। नियोक्ता के साथ करार पत्र (संविदा पत्र) निष्पादन करना अनिवार्य होगा।
3. विज्ञापन जारी तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत कर अपात्र की श्रेणी में रखा जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जायेगा।
4. दावा आपत्ति आवेदन हेतु दावा आपत्ति मंगाये जाने के समय निर्धारित प्रारूप जारी किया जावेगा। उक्त निर्धारित प्रारूप में ही दावा आपत्ति स्वीकार किये जायेंगे। दावा आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार का नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जायेगा। मूल आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर दावा आपत्ति निराकरण की कार्यवाही की जायेगी एवं दावा आपत्ति में केवल लिपिकीय त्रुटि का ही सुधार किया जायेगा। सत्यापन के समय किसी भी मूल दस्तावेज के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
6. विज्ञापन व भर्ती प्रक्रिया के समय तथ्यात्मक / लिपिकीय / रिक्तियों/ टंकन आदि संबंधित त्रुटि सुधार किया जा सकेगा, जिसकी सूचना विधिवत प्रकाशित किया जावेगा।
7. नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल मे अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।
8. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाली किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा आधार पर कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति का होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
9. चयन प्रकिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीद्वार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है यह निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
10. योग्य / पात्र उम्मीद्वार नहीं होने की दशा में चयन समिति द्वारा भर्ती निरस्त कर पुनः पद विज्ञापित कराया जा सकता है।
11. छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2014 अनुसार दिव्यांगता श्रेणी के आवेदक आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
12. विज्ञापित पद, सम्पूर्ण विज्ञापन एवं भर्ती अथवा किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार चयन समिति को होगा।
13. योग्य उम्मीदवार नहीं होने की दशा में चयन समिति द्वारा भर्ती निरस्त कर पुनः विज्ञापित कराया जा सकता है।
14. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवायें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन / किसी भी शासकीय / अर्द्धशासकीय विभाग/ शासन द्वारा वित पोषित संस्था द्वारा अनुशासनहीनता / वित्तीय अनियमितता / अनुचित व्यवहार के कारण से सेवा समाप्त की गई है, उन्हे अपात्र उम्मीदवार की श्रेणी में रखा जावेगा।
15. चयनित उम्मीद्वार को पदस्थापना जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से पदग्रहण तिथि से अधिकतम 30 दिवस के भीतर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
16. संविदा नियुक्ति उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को पद स्थापना स्थल मुख्यालय बना कर निवास करना अनिवार्य होगा।
17. भर्ती एवं सेवा अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जारी मानव संसाधन नीति 2018 एवं मानव संसाधन नीति 2018 के यथासंभव संशोधित नियमों तथा उच्च कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश आदि मान्य होंगे।
18. विज्ञापन व भर्ती प्रक्रिया के किसी भी समय तथ्यात्मक / लिपिकीय / टंकन आदि संबंधित त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। जिसकी सूचना विधिवत प्रकाशित किया जावेगा।
19. प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी जिसकी वैद्यता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा उक्त पद के लिए नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने तक जो पहले हो तक मान्य होगी।
20. प्रकाशित प्रारंभिक पात्र/अपात्र सूची का अवलोकन अभ्यार्थी अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करे, अन्यथा दावा आपत्ति उपरांत किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
21. प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रूटनी उपरांत दावा आपत्ती हेतु पात्र एवं आपात्र अभ्यार्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य निर्देशों का प्रकाशन जिले की विभागीय वेबसाईट एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के समचना पटल पर पृथक से किया जावेगा। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यार्थियों की होगी अन्य किसी भी माध्यम से सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी। (जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)

पद क्रमांक 01,02 एवं 03 हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

पद का नाम-
पद क-01-सोशल वर्कर (मानसिक स्वास्थ्य)
पद क-02-रेडियोग्राफर (एक्स-रे टेक्नीशिसन)
पद क-03-ओ.टी. टेक्नीशियन

नवीनतम स्व-हस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करे।

प्रति,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सिविल अस्पताल परिसर खैरागढ़
जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम : :------------------
2. आवेदक का नाम (10वीं मार्कशीट अनुसार हिन्दी में) :------------------
3. आवेदक का नाम (10 वीं मार्कशीट अनुसार अंग्रेजी में) :------------------
4. पिता/पति का नाम :------------------
5. माता का नाम :------------------
6. (अ) जन्म तिथि (10वी मार्कशीट अनुसार) (अंको में) :-----------------
(शब्दों में) :------------------
(ब) 01.01.2025 की स्थिति में आयु वर्ष---माह----दिन---
7. लिंग (महिला/पुरुष) :------------------
8. वर्ग (अना./अ.ज.जा./अ.जा/अपिव.) :------------------
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
9. छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी हैं (हॉ/ नहीं) :------------------
(निवासी जिले का नाम)
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
10. स्थायी निवास का पता :------------------
:-----जिला--------
राज्य------पिन-----
11. वर्तमान पत्र-व्यवहार का पता :------------------
:-----जिला--------
राज्य-------------
पिन--------------
मोबाईल नम्बरः-----
मेल आईडीः-------

आवेदक का हस्ताक्षर

12. (अ) शैक्षणिक योग्यता (स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करे) :-

क्र	परीक्षा का नाम	विषय	बोर्ड/वि.वि. का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णाक	प्रतिशत	श्रेणी
1							
2							
3							
4							

13 (ब) तकनीकी योग्यता/पैरामेडिकल पाठयक्रम संबंधित योग्यता (स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें):-

क्र	परीक्षा का नाम	विषय	बोर्ड/वि.वि. का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक/ पूर्णाक	प्रतिशत	श्रेणी
1							
2							
3							

क्रमशः

14 (स) कार्यानुभव (स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें):

क्र	पद का नाम	संस्था का नाम	कार्य अवधि दिनांक (कब से कब तक)	कुल कार्य अवधि (वर्ष में)	कार्य का विवरण
1					
2					
3					

15. क्या आप शासकीय संस्था में कार्यरत् हैं (हाँ/नहीं):---------------------------
(यदि हाँ तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

16. संलग्न सहपत्रों का विवरणः संलग्न दस्तावेजों का निम्नानुसार कमानुसार रखा जावे एवं सलग्न दस्तावेजों के सामने बने बाक्स पर सही ( ) का चिन्ह लगावें तथा संलग्न दस्तावेजों की कुल पृष्ठों की संख्या------- लिखें।

1. 10वी की अंकसूची की सत्यापित प्रति ☐
2. 12वी की अंकसूची की सत्यापित प्रति ☐ ☐
3. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (स्तनातक / स्नात्कोत्तर) की अंकसूची (समस्त वर्षों का)
4. अहर्तानुसार अनिवार्य तकनिकी शैक्षणिक योग्यता संबंधित डिग्री / डिप्लोमा (समस्त वर्षों का) ☐
5. संबंधित काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति (संबंधित है तो) ☐
6. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत जाति प्रमाण पत्र की प्रति (संबंधित है तो) ☐
7. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत निवास प्रमाण पत्र की ☐ ☐
8. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत निशक्तता प्रमाण पत्र (UDID) की प्रति (संबंधित है तो)
9. स्वयं का पहचान पत्र (ID Proof) जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता एवं फोटो हो ☐
10. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति ☐
11. अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति ☐
12. अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति (समान पद पर कार्यरत कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र)
13. अन्य प्रमाण पत्र यदि आवश्कता हो तो

आवेदक के हस्ताक्षर

// घोषणा-पत्र //

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य एवं सही है। मैं सहमति देता/देती हूँ कि भर्ती के किसी भी स्तर पर जानकारी असत्य पाये जाने पर मुझे चयन/सेवा से वंचित किया जा सकता है एवं मेरे विरूद्ध वैधानिक / अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा जो मुझे मान्य होगा।

दिनांक :--------
स्थान :-------

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम-------------------------------
पूर्ण पता :--------------------------
मोबाईल नं.: +91-------------------
ईमेल आईडी :-----------------------

पद क्रमांक 04,05 एवं 06 हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

पद का नाम-
पद क-04-एन.आर.सी.अटेण्डेंट
पद क-05-रसोईया सह देखभाल (Cook cum Care Tacker)
पद क-06-सफाई कर्मी -Cleaner(SNCU)

नवीनतम स्व-हस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करे।

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
सिविल अस्पताल परिसर खैरागढ़
जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम : :----------------
2. आवेदक का नाम (8 वीं मार्कशीट अनुसार हिन्दी में) :----------------
3. पिता/पति का नाम :----------------
4. माता का नाम :----------------
5. (अ) जन्म तिथि (10वी मार्कशीट अनुसार) (अंको में) :-----------------
(शब्दों में) :----------------
(ब) 01.01.2025 की स्थिति में आयु वर्ष---माह----दिन---
6. लिंग (महिला/पुरुष) :----------------
7. वर्ग (अना./अ.ज.जा./अ.जा/अपिव.) :-----------------
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
8. छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी हैं (हॉ/ नहीं) :----------------
(निवासी जिले का नाम)
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
9. स्थायी निवास का पता :----------------
:-----जिला--------
राज्य------पिन-----
10. वर्तमान पत्र-व्यवहार का पता :----------------
:-----जिला--------
राज्य-------------
पिन--------------
मोबाईल नम्बरः-----
मेल आईडीः-------

आवेदक का हस्ताक्षर

11. (अ) शैक्षणिक योग्यता (स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करे) :-

क्र	परीक्षा का नाम	विषय	बोर्ड/वि.वि. का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1							
2							
3							
4							

क्र	पद का नाम	संस्था का नाम	कार्य अवधि दिनांक (कब से कब तक)	कुल कार्य अवधि (वर्ष में)	कार्य का विवरण
1					
2					
3					

12. (स) कार्यानुभव (स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें)
13. क्या आप शासकीय संस्था में कार्यरत हैं (हाँ / नहीं) :--------------------------
(यदि हाँ तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
14. संलग्न सहपत्रों का विवरण संलग्न दस्तावेजों का निम्नानुसार क्रमानुसार रखा जावे एवं सलग्न दस्तावेजों के सामने बने बाक्स पर सही ( ) का चिन्ह लगावें तथा संलग्न दस्तावेजों की कुल पृष्ठों की संख्या-----लिखें।

1. 8वीं की अंकसूची की सत्यापित प्रति ☐
2. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत जाति प्रमाण पत्र की प्रति (संबंधित है तो) ☐
3. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत निवास प्रमाण पत्र की ☐ ☐
4. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत निशक्तता प्रमाण पत्र (UDID) की प्रति (संबंधित है तो)
5. स्वयं का पहचान पत्र (ID Proof) जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता एवं फोटो हो ☐
6. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति ☐
7. अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति ☐
8. अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति (समान पद पर कार्यरत ☐ कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र)
9. अन्य प्रमाण पत्र यदि आवश्कता हो तो ☐

आवेदक के हस्ताक्षर

// घोषणा-पत्र //

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य एवं सही है। मैं सहमति देता/देती हूँ कि भर्ती के किसी भी स्तर पर जानकारी असत्य पाये जाने पर मुझे चयन/सेवा से वंचित किया जा सकता है एवं मेरे विरूद्ध वैधानिक / अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा जो मुझे मान्य होगा।

दिनांक :--------
स्थान :-------

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम-------------------------------
पूर्ण पता :--------------------------
मोबाईल नं.: +91-------------------
ईमेल आईडी :----------------------

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय

सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / 713 / स्था-3/ भर्ती / 2025 रायपुर दिनांक 12/06/2025

छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल तृतीय श्रेणी अराजपत्रित कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम एवं पदोन्नति नियम, 2017 के तहत अग्निशमन विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छ०ग० के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की वेबसाईट https://cghgcd.gov.in पर दिनांक 01.07.2025 से ऑन लाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। मेनुअल अथवा डाक से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। भर्ती प्रक्रिया रायपुर छत्तीसगढ़ में सम्पन्न की जावेगी।

01-प्राधिकार (1) छ०ग० शासन, गृह विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के आदेश कमांक एफ 13-02/दो-गृह/न.से./2022 दिनांक 26.03.2024

02- **रिक्त पदों का विवरण**

क्र	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियां की वर्गवार संख्या में से नगर सैनिकों के लिए आरक्षित पद				योग	वेतन मैट्रिक्स लेबल
		अना	अजा	अजजा	अ.पि.व	अना	अजा	अजजा	अ.पि.व	अना	अजा	अजजा	अ.पि.व	अना	अजा	अजजा	अ.पि.व		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	स्टेशन ऑफिसर (उप निरीक्षक)	9	2	7	3	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	21	7
2	वाहन चालक	6	2	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	14	4
3	वाहन चालक कम ऑपरेटर	36	10	28	12	10	3	8	3	3	1	2	1	9	2	7	3	86	4
4	फायर मेन	49	14	38	16	14	4	11	4	4	1	3	1	12	3	9	4	117	4
5	स्टोर कीपर	13	4	10	5	3	1	3	1	1	-	1	-	3	1	2	1	32	4
6	मैकेनिक	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	4
7	वाचरूम ऑपरेटर	8	2	6	3	2	-	1	-	यह पद तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित नगर सैनिकों से भरा जावेगा।								19	4
8	वायरलैस ऑपरेटर (संविदा)	2	-	1	1	-	-	-	-	यह पद तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित नगर सैनिकों से भरा जावेगा।								04	एकमुश्त मासिक संविदा वेतन
																	योग	295	

टीपः- अभ्यर्थी उपरोक्त में से किसी एक पद के लिये आवेदन कर सकेंगे एक से अधिक पदों के लिये आवेदन मान्य नहीं होगा।

03- ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि- 01.07.2025

04- ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि- 31.07.2025

05- त्रुटि सुधार हेतु- 10.08.2025

06- परीक्षा शुल्क- अनारक्षित वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग रू० 300-00

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग रू0 200-00

07- महत्वपूर्ण निर्देश-

(1) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

(2) अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु आवेदन करने की तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।

शासकीय सेवकों के पुत्र / पुत्री के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी, जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण के समय अपने माता व पिता की सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नति संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षों से विलग है तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(3) न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिकों को ही आरक्षण का लाभप्रदाय किया जायेगा। उन्हें जिला सेनानी से उक्ताशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(4) छत्तीसगढ़ के मूल / स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं वे पद ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) तथा जिन्होंने पूर्व में किसी शासकीय सेवा में नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ न लिया हो के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिये अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अभिवचन का नमूना निम्नानुसार है।

अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप

छ०ग० अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा परीक्षा के विज्ञापन क्रमांक के अंतर्गत आवेदन पत्र विभाग को प्रस्तुत किया है तथा मै छत्तीसगढ़ निवासी भूतपूर्व सैनिक हूँ। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षित पद के विरूद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाये। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

मैंने पूर्व में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया है।

हस्ताक्षर------------

नाम---------------

नोटः- ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु पूर्व में भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त कर लिया हैं, उन्हें पुनः भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

टीप :- (i) भूतपूर्व सैनिक थल सेना/जल सेना / वायु सेना

(ii) अर्ध सैनिक बल भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

(5) महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण खण्डवार सीधा आरक्षण है पात्र महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उस पद को उसी संवर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से भरा जायेगा। यदि भूतपूर्व सैनिक एवं नगर सैनिक के आरक्षण संवर्ग में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उन पदों को उस संवर्ग के अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

क्रमशः

(6) परिवीक्षा- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी।

08- चयन/भर्ती हेतु पात्रताः सीधी भर्ती / चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थात्-

(i) शारीरिक अर्हता :-

(क) पुरूष अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई 168 से.मी. या अधिक।
महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई 153 से.मी. या अधिक ।

(ख) अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की शारीरिक निःशक्तता नहीं होनी चाहिए।

(ग) सीना-बिना फुलाये 81 से.मी. फुलाने पर 86 से.मी. अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये बिना फुलाये 76 से.मी. फुलाने पर 81 से.मी. सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में दोनों के बीच का अंतर न्यूनतम 5 से.मी. का होना चाहिए तथा इस संबंध में कोई छूट नही दी जायेगी। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता / परीक्षा से मुक्त होगी।

(घ) अभ्यर्थी के घुटनों को एक साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिये एवं पैर सपाट नही होना चाहिए। अभ्यर्थी को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को दृष्टि से संबंधित कोई भी बीमारी/ विकार नही होना चाहिये। चश्में के बिना एक आंख की दृष्टि 6/9 से कम नही होना चाहियें और दूसरी आंख की दृष्टि 6/12 से कम नही होनी चाहिए। अभ्यर्थी को सभी रंगों के लिये स्पष्ट दृष्यता होना चाहिये और वर्णांधता नही होनी चाहिये। अभ्यर्थी को किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नही होना चाहिए। अभ्यर्थी को सुनने में समस्या नही होना चाहिये।

(ii) शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता
1	स्टेशन ऑफिसर (उप निरीक्षक)	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन में बी.एस.सी./बी.ई. की उपाधि या उसके समकक्ष
2	वाहन चालक	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) भारी मोटर वाहन चालन का लायसेंस होना चाहिए
3	वाहन चालक कम ऑपरेटर	
4	फायर मेन	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
5	स्टोर कीपर	
6	मैकेनिक	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / मान्यता प्राप्त संस्था से डीजल मैकेनिक ट्रेड में डिप्लोमा।
7	वाचरूम ऑपरेटर	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) प्रशिक्षित नगर सैनिक
8	वायरलैस ऑपरेटर (संविदा)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) प्रशिक्षित वायरलैस ऑपरेटर सहित नगर सैनिक होना चाहिए

(iii) आयु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक ना हो, परन्तु छ०ग० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक एफ 3-2/2015/1-3 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18.01. 2024 द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट रहेगी ।

उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

(i) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-कीमी लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ii) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी :-

(क) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नही होना चाहिए ।

(ख) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी / स्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

(ग) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वहा उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण शब्द छंटनी किये गये शासकीय सेवक से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अथवा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(घ) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिकतम न हो ।

स्पष्टीकरण- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो,

अर्थात् :-(छ०ग० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 12.03.2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किये गये आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा । शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नही होगा ।)

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें -

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक,

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा अर्धसैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है)

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक योग्य नहीं है।

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(ड) विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पाण्डे सम्मान, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम / मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्ययीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप :-

(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा / चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने पश्चात् या तो परीक्षा / चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते है, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को

क्रमशः

परीक्षा / चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(3) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा / तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभप्राप्त करने के उपरांत अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3, नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(iv) छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3, रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी ।

(v) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज / प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-

(i) शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।

(ii) विज्ञापन की कंडिका-08 (iii) की उप कंडिका-i एवं ii (क), (ख), (ग), (घ), (ज), (झ) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी / नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।

(iii) विज्ञापन की कंडिका-08 (iii) की उप कंडिका-ii (ड) के अंतर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र तथा विधवा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र ।

(iv) विज्ञापन की कंडिका-08 (iii) की उप कंडिका-ii (च) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए जिला मजिस्ट्रेट /सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट / राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।

(v) विज्ञापन की कंडिका-08 (iii) की उप कंडिका-ii (छ) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र ।

(vi) विज्ञापन की कंडिका-08 (iv) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव का प्रमाण-पत्र ।

09- **चयन प्रक्रिया** - प्रतियोगी परीक्षा की चयन प्रक्रिया निम्नानुसार आयोजित की जायेगी:-

(i) आवेदन पत्रों की छानबीन आवेदन पत्रों की छानबीन करते हुए समस्त विहित मापदण्ड/ अर्हताओ को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम चरण (शारीरिक दक्षता परीक्षा) के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी।

(ii) शारीरिक माप के लिये मापदण्ड अभ्यर्थी की शारीरिक योग्यता, सरल क्रमांक 08 के उप क्रमांक (i) में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मापदण्ड / योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। टीप शारीरिक माप से संबंधित किसी विवाद के संबंध में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(iii) शारीरिक दक्षता परीक्षा यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगी।

(क) स्टेशन आफिसर उपनिरीक्षक की शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 300 अंको की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाऐं सम्मिलित होंगी :-

क्र	मद (आयटम) पुरूष अभ्यर्थी	अंक्र.	मद (आयटम) पुरूष अभ्यर्थी	अंक
1	2	3	4	5
1-	लम्बी कूद (तीन प्रयास)	60	लम्बी कूद (तीन प्रयास)	60
	12 फिट (3.66 मीटर) तक	00	08 फिट (2.44 मीटर) तक	00
	14 फिट (4.27 मीटर)	12	10 फिट (3.05 मीटर)	12
	16 फिट (4.88 मीटर)	24	12 फिट (3.66 मीटर)	24
	17 फिट (5.18 मीटर)	36	13 फिट (3.96 मीटर)	36
	18 फिट (5.49 मीटर)	48	14 फिट (4.27 मीटर)	48
	19 फिट (5.79 मीटर) या अधिक	60	15 फिट (4.57 मीटर) या अधिक	60
2-	ऊँची कूद (तीन प्रयास)	60	ऊँची कूद (तीन प्रयास)	60
	04 फिट (1.22 मीटर) तक	00	03 फिट (0.91 मीटर) तक	00
	04 फिट 02 इंच (1.27 मीटर)	12	03 फिट 02 इंच (0.97 मीटर)	12
	04 फिट 04 इंच (1.32 मीटर)	24	03 फिट 04 इंच (1.02 मीटर)	24
	04 फिट 06 इंच (1.37 मीटर)	36	03 फिट 06 इंच (1.07 मीटर)	36
	04 फिट 06 इंच (1.42 मीटर)	48	03 फिट 08 इंच (1.12 मीटर)	48
	04 फिट 10 इंच (1.47 मीटर) या अधिक	60	03 फिट 10 इंच (1.17 मीटर) या अधिक	60
3-	गोला फेंक (तीन प्रयास) वजन 16 पाउण्ड	60	गोला फेंक (तीन प्रयास) वजन 08 पाउण्ड	60
	04 मीटर तक	00	04 मीटर तक	00
	05 मीटर	12	05 मीटर	12
	06 मीटर	24	06 मीटर	24
	07 मीटर	36	07 मीटर	36
	08 मीटर	48	08 मीटर	48
	09 मीटर या अधिक	60	09 मीटर या अधिक	60
4-	100 मीटर दौड़	60	100 मीटर दौड़	60
	12.5 सेकेण्ड या कम	60	14.5 सेकेण्ड या कम	60
	13.5 सेकेण्ड	48	15.5 सेकेण्ड	48
	14.5 सेकेण्ड	36	16.5 सेकेण्ड	36
	15.5 सेकेण्ड	24	17.5 सेकेण्ड	24
	16.5 सेकेण्ड	12	18.5 सेकेण्ड	12
	16.5 सेकेण्ड से अधिक	00	18.5 सेकेण्ड से अधिक	00
5-	दौड़ 1500 मीटर	60	दौड़ 1500 मीटर	60
	5 मिनिट	60	6 मिनिट	60
	5 मिनिट 10 सेकेण्ड	48	6 मिनिट 10 सेकेण्ड	48
	5 मिनिट 20 सेकेण्ड	36	6 मिनिट 20 सेकेण्ड	36
	5 मिनिट 30 सेकेण्ड	24	6 मिनिट 30 सेकेण्ड	24
	5 मिनिट 40 सेकेण्ड	12	6 मिनिट 40 सेकेण्ड	12
	5 मिनिट 40 सेकेण्ड से अधिक	00	6 मिनिट 40 सेकेण्ड से अधिक	00

(ख) वाहन चालक, वाहन चालक कम आपरेटर, फायरमेन, स्टोरकीपर, मेकेनिक, वाचरूम आपरेटर एवं वायरलेस आपरेटर संविदा पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 100 अंकों में से, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक अर्जित करने होंगे, इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाऐं सम्मिलित होंगी :-

दौड-100 मीटर अधिकतम अंक-25

पुरूष-100 मीटर दौड़ 10 कि.ग्रा. वजन के साथ महिला 100 मीटर दौड़ 5 कि.ग्रा. वजन के साथ

पुरुष		महिला	
समय सेकेण्ड में	**अंक**	**समय सेकेण्ड में**	**अंक**
15 सेकेण्ड	25	15 सेकेण्ड	25
16 सेकेण्ड	20	16 सेकेण्ड	20
17 सेकेण्ड	15	17 सेकेण्ड	15
18 सेकेण्ड	10	18 सेकेण्ड	10
19 सेकेण्ड	05	19 सेकेण्ड	05
20 सेकेण्ड	00	20 सेकेण्ड	00

लंबी कूद-अधिकतम अंक-25

पुरूष		महिला	
लम्बाई	**अंक**	**लम्बाई**	**अंक**
03 मीटर से कम	00	02 मीटर से कम	00
03 मीटर 50 से.मी.	05	02 मीटर 50 से.मी.	05
03 मीटर 75 से.मी.	09	03 मीटर	09
04 मीटर	13	03 मीटर 25 से.मी.	13
04 मीटर 50 से.मी.	17	03 मीटर 75 से.मी.	17
05 मीटर	21	04 मीटर	21
05 मीटर 50 से.मी. से अधिक	25	04 मीटर 25 से.मी. से अधिक	25

गोला फेंक अधिकतम अंक-25

पुरूष-गोला फेंक (वजन-08 पाउण्ड)

महिला-गोला फेंक (वजन-16 पाउण्ड)

क्रमशः

पुरुष		महिला	
लम्बाई	अंक	लम्बाई	अंक
05 मीटर 50 से.मी. से कम	00	4 मीटर से कम	00
05 मीटर 50 से.मी.	05	4 मीटर	05
06 मीटर	09	04 मीटर 50 से.मी.	09
06 मीटर 50 से.मी.	13	05 मीटर	13
07 मीटर	17	06 मीटर	17
08 मीटर	21	07 मीटर	21
09 मीटर या अधिक	25	08 मीटर या अधिक	25

बीमबार अधिकतम अंक-25

पुरुष-बीमबार **महिला-बीमबार**

पुरूष		महिला	
संख्या	अंक	संख्या	अंक
12 बार	25	06 बार	25
10 बार	22	05 बार	22
08 बार	15	04 बार	15
06 बार	10	03 बार	10
05 बार	05	02 बार	05
04 बार या कम	00	01 बार या कम	00

(iv) **लिखित परीक्षा :** लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी तथा परीक्षा की कुल अवधि दो घंटें की होगी। निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्नों को परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा :-

क	चरण	कुल अंक	विषय	अनिवार्य प्राप्तांक
1	लिखित परीक्षा	100	विषय विशिष्ट, सामान्य ज्ञान / तार्किक /विश्लेषणात्मक तर्क	सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 40 अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 30 अंक प्राप्त करना/अर्जित करना अनिवार्य होगा।

वाहन चालक/वाहन चालक ऑपरेटर ट्रेड के अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा देनी होगी, इसके लिये कुल 100 अंक होंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना/अर्जित करना होगा ।

10- **बोनस अंक :-** प्रत्येक अभ्यर्थी को 05 बोनस अंक दिया जायेगा, यदि यह नीचे उल्लिखित विशेष योग्यता धारण करता हो। किन्तु अभ्यर्थी को अधिकतम 10 बोनस अंक दिये जायेगे, भले ही अभ्यर्थी दो से अधिक विशेष योग्यता धारण करता हो। ये विशेष योग्यतायें है :-

(क) भारी मोटर वाहन चालन का लायसेंसधारी,

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में प्रवीणता। (केवल वे अखिल भारतीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता जिनका सीधा आयोजन उस खेलकूद के अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत किया जाता है, वहां के केवल विजेता खिलाड़ियों को ही पात्रता होगी)।

(ग) **एन.सी.सी.सी** प्रमाण पत्र धारी ।

टीपः- भारी मोटर वाहन चालक का लायसेंसधारी होने पर बोनस अंक वाहन चालक, वाहन चालक कम आपरेटर के पदों को छोड़कर शेष पदों हेतु प्रदाय किये जायेंगे।

11- **चयन सूचीः-** स्टेशन ऑफिसर (उपनिरीक्षक) पद हेतु, शारीरिक दक्षता परीक्षा अंक 300, लिखित परीक्षा अंक 100 एवं बोनस अंक 10 केवल पात्रतानुसार के आधार पर तथा शेष पदों यथा वाहन चालक, वाहन चालक कम आपरेटर, फायरमेन, स्टोरकीपर, मैकेनिक, वाचरूम आपरेटर एवं वायरलैस आपरेटर (संविदा) हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा अंक 100, लिखित परीक्षा अंक 100 एवं बोनस अंक 10 (केवल पात्रतानुसार) के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी। बोनस के 10 अंक की गणना पृथक से की जायेगी। लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं बोनस अंको में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट कम के आधार पर सूची तैयार की जायेगी। सर्वप्रथम, सभी वर्गो के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी । इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे, जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार है एवं जो अनारक्षित पदों के लिए सभी मापदण्ड पूरा करते हैं। शेष अभ्यर्थियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के आधार पर, उनके अपने-अपने जाति/श्रेणी प्रवर्गो के लिए विज्ञापित आरक्षित पदों के अनुसार पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी ।

12- **चयन सूची का अनुमोदन** लिखित परीक्षा एक बार आयोजित होगी और चयन सूची अग्निशमन एवं आपातकालीन तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय द्वारा विहित अनुसूची के अनुसार तैयार की जायेगी, चयन समिति समस्त आवश्यक अभिलेख महानिदेशक को अनुमोदन हेतु भेजेगी। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय द्वारा विहित कार्यक्रम के अनुसार सूची का परीक्षण, विचारण तथा जांच करने के पश्चात् अनुमोदन आदेश जारी किये जायेगें ।

13- **परीक्षा फीस (शुल्क) :-**

(क) अभ्यर्थी को समिति द्वारा विहित फीस (शुल्क) का भुगतान करना होगा।

(ख) चिकित्सा (स्वास्थ्य) परीक्षा फीसः उन अभ्यार्थियों को जिन्हें किसी चिकित्सीय परीक्षा हेतु चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो स्वास्थ्य परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को ऐसी अपेक्षित चिकित्सा परीक्षा / टेस्ट फीस का भुगतान करना होगा जो शासन द्वारा समय-समय पर विहित की जाए।

14- **निरर्हता**

(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में / चयन हेतु उपस्थित होने हेतु निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी।

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये।

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधोपतन से संबंधित किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

15- **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा**

(1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :-

01- छ०ग० राज्य का मूल निवासी प्रमाण-पत्र।

02- शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र

03- उच्चतर आयु में छूट प्राप्त करने के लिए वांछित प्रमाण पत्र।

04- आरक्षण का लाभ करने के लिए जाति प्रमाण पत्र।

05- आय प्रमाण पत्र (गैर क्रीमीलेयर अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)

06- भूतपूर्व सैनिकों/नगर सैनिकों के मामले में वांछित प्रमाण पत्र।

07- बोनस अंक हेतु-01 हेवी व्हीकल ड्राईविंग लायसेंस 02 नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 03 एनसीसी-सी सर्टिफिकेट।

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये की जाने वाली चयन प्रक्रियाऐं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगीं।

महानिदेशक
नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं
तथा एसडीआरएफ छत्तीसगढ़

कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ०ग०)

क्रमांक / 1747/NRLM/जि.पं. / 2025 **सूरजपुर दिनांक/8/06/2025**

कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ, विकास भवन नगर छत्तीसगढ का आदेश क्रमांक मिशन संचालक, SRLM विकास आयुक्त सेक्टर-19 द्वितीय तल नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल 3357/वि-6/NRLM/HR&A/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17.01.2025 के परिपेक्ष्य में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्बिहानश् अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से जिला/विकासखण्ड स्तर के 14 रिक्त (संविदा) पदों पर भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रकाशन तिथि दिनांक 18.6.2025 से 07.07.2025 तक कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ०ग०) के पते पर पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

अ/ पदों का विवरणः-

सक्र	पदनाम	स्वीकृत पदो की संख्या	रिक्त पदो की संख्या	कुल रिक्त पदों का वर्गवार संख्या				कुल रिक्त पदों का वर्गवार संख्या में से केवल महिलाओ के लिए आरक्षित			
				अनारक्षित (मुक्त)	अ०जा० (मुक्त)	अ०ज०जा० (मुक्त)	अ०पि०वर्ग (मुक्त)	अनारक्षित	अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०पि०वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-
2	क्षेत्रीय समन्वयक	15	11	3	1	4	2	0	-	1	-
3	लेखा सह एम. आई.एस. सहायक	6	1	1	-	0	-	-	-	-	-
योग		23	14	5	1	5	2	0	0	1	0

2- पदवार शैक्षणिक अर्हता , अनुभव व मेरिट अंक का विवरण

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रू.में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु निर्धारण (कुल अंक 100) विवरण	अंक
1	2	3	4	5	
1	विकास खण्ड परियोजना प्रबंधक	39875.00	शिक्षा- मान्यता प्राप्त शिक्षा विश्वविद्यालय / संस्था से स्नातकोत्तर / समकक्ष उपाधि। अनुभव-स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकासखण्ड/कलस्टर स्तर के पद का न्यूनतम 02 वर्ष का गरीबी उन्मूलन / ग्रामीण का आजीविका संबंधी क्षेत्र शासकीय / अर्द्धशासकीय / शासकी य वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	35
				स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	20
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिये 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	06
				साक्षात्कार	10
2	क्षेत्रीय समन्वयक	26,490.00	शिक्षा- 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था /विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट। अनुभव- स्नातक उपाधि उपरांत ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं मे उन्मूलन/आजीविका गरीबी विकास परियोजनाओं में कम से कम 01 वर्ष का गरीबी उन्मूलन / ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय / अर्द्धशासकीय /शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	35
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	20
				दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिये 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				लिखित / कौशल परीक्षा	10
3	लेखा सह एम.आई. एस. सहायक	23,350.00	शिक्षा-1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं टैली सर्टिफिकेट। अनुभव-स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 02 वर्षीय शासकीय / अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	35
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	20
				दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिये 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				कौशल परीक्षा	10

नियम एवं शर्तेः-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रकाशन तिथि दिनांक 18.06.2025 से दिनांक 07.07.2025 तक स्वीकार किये जावेंगे। समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज (स्व प्रमाणित) की प्रति सहित पंजीकृत / स्पीड डाक के माध्यम से दिनांक 07.07.25 तक सांय 05:00 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर में कार्यालयीन अवधि व समय में प्रेषित किया जावे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य होगा अन्यथा बिना लिफाफा खोले आवेदन अपात्र कर दिया जायेगा।
3. आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2025 के आधार पर की जायेगी। आयु के प्रमाण स्वरूप 10 वी की स्वप्रमाणित अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. छ.ग. राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे। आरक्षण का लाभ केवल छ.ग. के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही मिलेगा।
5. समस्त संलग्न दस्तावेजो को स्व प्रमाणित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
6. अनुभव प्रमाण-पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) अनिवार्य है, एवं केवल शासकीय /अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित / शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्थाओं के ही मान्य होंगे। तालिका 2 में अंकित अनुभव को ही मान्य किया जायेगा। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अर्द्धशासकीय / शासकीय वित्त पोषित/ शासन से अनुदान प्राप्त है. इस आशय का उल्लेख जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र की सत्यता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था व आवेदक की होगी।
7. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्था का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय जावक क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य/अमान्य किये जाने के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ सैलरी स्लिप संलग्न करना अनिवार्य होगा। सैलरी स्लिप संलग्न नहीं करने की दशा में अनुभव का अंक नहीं दिया जायेगा। जितनी अवधि का सैलरी स्लिप लगाया जायेगा उत्तनी अवधिका ही अनुभव का अंक दिया जायेगा।
8. प्राप्त कुल आवेदन पत्रो को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा वरीयता क्रम के आधार पर कौशल/लिखित परीक्षा के लिये 01 पद के विरूद्ध 10 आवेदकों को बुलाया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं लिखित / कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। प्रतीक्षा सूची से क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदको को एक वर्ष हेतु प्रतीक्षा सूची में

क्रमशः

रखा जावेगा यदि भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता क्रम अनुसार प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष के लिये मान्य होगा।

9. **यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो प्रथमतः यह भार आवेदक पर होगा किवे अंकसूची के जारीकर्ता संस्था से ग्रेड को प्रतिशत अंक में परिवर्तित करने उपरांत आवेदन प्रस्तुत करें।** अन्यथा उन आवेदको को अंकसूची में अंकित ग्रेड स्लैब औसत प्रतिशत प्रदान किया जावेगा।

10. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।

11. शासकीय/गैर-शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जाना होगा।

12 ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता / अनुचित व्यवहार / स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।

13. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा एवं अपात्र किया जायेगा।

14. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो. नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

15. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा।

16. पदो की संख्या परिवर्तनीय है।

17. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

18. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।

19. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ. 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।

20. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।

21. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।

22. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

23. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

24. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास सुरक्षित रहेगा।

25. फोटो व संलग्न दस्तावेज स्व प्रमाणित नहीं होने पर आवेदन अपात्र कर दिया जायेगा। इस संबंध में कोई दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जायेगा। दावा आपत्ति के दौरान किसी प्रकार के नवीन या पूरक दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सूरजपुर (छ०ग०)

कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर (छत्तीसगढ़)

छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अंतर्गत संविदा भर्ती

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सूरजपुर (छ.ग.)
पिनकोड- 497229

आवेदक का अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो।

आवेदित पद का नामः :-------------------------
1 अभ्यर्थी का नाम अ. हिन्दी में :-------------------------
ब. अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षर) :-------------------------
2. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) :-------------------------
3. लिंग (पुरुष/महिला/तृतीय लिंग) :-------------------------
4. जन्म तिथि अ. अंको में :-------------------------
ब. शब्दों में- :-------------------------
स. दिनांक 01.01.2025 को आयु वर्ष--------माह-----दिन----
(हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10वीं परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करे)

5 वर्ग (अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.व./सामान्य) उल्लेख करें -(आरक्षित प्रवर्ग का होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

6. पत्राचार का पता (हिंदी में) -------------------------

-----(मो.नं.)-----ईमेल----
स्थायी पता (हिंदी में) :-------------------------
----

8. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है? (हॉ/नहीं) :-------------------------
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

9. शैक्षणिक योग्यता (शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	डिग्री/डिप्लोमा	बोर्ड/वि.वि. का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत

10. नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करें :-

क्र	कार्यरत पद का नाम	संस्था का नाम एवं पूर्ण पता	कार्यरत अवधि कब से कब तक	जारीकर्ता का पदनाम	अनुभव पत्र
1			----से--- तक (कुल अवधि)----		
2			----से--- तक (कुल अवधि)----		
3			----से--- तक (कुल अवधि)----		
4			----से--- तक (कुल अवधि)----		
5			----से--- तक (कुल अवधि)----		

11. वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित) -

12. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि बच्चों की संख्या

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियां सत्य हैं। किसी भी स्तर पर जानकारियां असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन/सेवायें निरस्त कर मुझे पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थानः--------
दिनांक :------

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
नाम------------

नोट- संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को निम्नांकित क्रम में रखा जावे।

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

1. हाई स्कूल का प्रमाण पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल का प्रमाण पत्र
3. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का प्रमाण पत्र
4. मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट
5. अनुभव/अनापत्तिका प्रमाण पत्र पे स्लिप सहित
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
7. छ.ग. निवासी प्रमाण पत्र।
8. अन्य प्रमाण पत्र।

शैक्षिक विभाग (Academic Section)

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर (छत्तीसगढ़)

All India Institute of Medical Sciences Raipur (Chhattisgarh)

G. E. Road, Tatibandh, Raipur- 492 099 (Chhattisgarh) www.aiimsraipur.edu.in

No.9/327/2025/Recruit./Reg./AIIMSRPR/1291 Date: 24.06.2025

ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT

TO THE POST OF SENIOR RESIDENTS (NON ACADEMIC) IN VARIOUS DEPARTMENTS IN AIIMS RAIPUR UNDER GOVT. OF INDIA RESIDENCY SCHEME

Opening Date: 24.06.2025

Closing Date: 04.07.2025

AIIMS Raipur is an apex healthcare institute, established by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY).

Executive Director & CEO, AIIMS Raipur invites application in prescribed format through Google form from Indian Nationals for the post of Senior Resident (Non Academic) as per Govt. of India Residency Scheme for the tenure period up to 3 years for the departments mentioned in **Annexure A.**

Detailed eligibility criteria	
Name of Post and Group	Senior Resident (Group A)
Pay Band and Grade Pay	Rs. 67,700/- (Level-11, Cell No. 01 As per 7th CPC) plus usual allowances including NPA (if applicable)
Upper age limit	45 years
Essential Qualification	1. A Postgraduate Medical Degree viz. MD/MS/DNB/Diploma in respective discipline from a recognized University/Institute 2. For School of Public Health, A postgraduate medical degree viz. MD/DNB in Community Medicine/PSM from a recognized University/Institute.
No. of Post	110 (UR-35, OBC-31, SC-23, ST-11 EWS-10) [*Including 4 posts of PwBD] Category wise details attached in Annexure-A

DETAILS

1. Age and other qualification/Experience will be counted as 31.07.2025.
2. Only those candidates, who have been declared successful in their qualifying degree exam and will be completing or likely to complete their tenure on or before 31.07.2025 will be eligible.
4. In cases where result of qualifying exam is declared after the 31.07.2025, their candidature will stand cancelled and no claim for selection will be considered.
5. The above vacancies are provisional and subject to variation. The Executive Director & CEO, AIIMS, Raipur reserves the right to vary the vacancies including reserved vacancies as per the Govt. of India rules/circulars and requirements. The reservation will be followed as per Government of India Rules.
6. Candidates are required submit the duly filled application through Google Form (Link: https://forms.gle/AKNGOS7b9iSELRcK6) with in the given time. Advertisement and application proforma have been up loaded at AIIMS Raipur website (www.aiimsraipur.edu.in). Only on line application form will be accepted. Application submitted through any other mode will not be accepted. Candidates must also fill the application proforma available on AIIMS Raipur website and attach the same with Google form.
6. The decision of Executive Director & CEO, AIIMS Raipur in this regard shall be final and binding. The offer of appointment when made will be provisional and subject to verification of credentials (Educational && Personal) by competent authority. The vacancies are provisional and subject to variation. The Executive Director & CEO, AIIMS, Raipur reserves the right to vary the vacancies including reserved vacancies. No correspondence whatsoever would be entertained in this regard.
7. Application fee: A non-refundable application fee is required to be paid by candidates in online/digital mode only. Applications without the prescribed fee will not be considered. The application fee applicable to various categories are as follow:-

S.No.	**Category of the Candidate**	**Application Fee**
(a)	General/OBC/EWS	Rs. 1,000/-
(b)	Women/SC/ST/PwBD/Ex-servicemen	Nil
Candidates can pay the fee through NEFT in the Account given below		
Name of the Bank		**Bank of India**
Branch		**Tatibandh, Raipur**
Name of Account Holder		**AIIMS, Raipur**
Account No		**936320110000024**
IFSC		**BKID0009363**
MICR code		**492013010**

8. Those who are working in Central/State Government/Semi Government/Autonomous Institution must submit a NO OBJECTION CERTIFICATE from the employers at the time of interview.
9. Self-Attested photocopies of Degrees, Certificates, Mark sheets, Age proof, Caste certificates, EWS certificate etc. may be annexed to the hard copy of the application and the same shall be produced in original along with photocopy for verification at the time of interview.
10. Candidates appearing for interview will have to produce all relevant original documents in proof of details furnished in their application at the time of interview.
11. The Interview will be held in Raipur only at All India Institute of Medical Sciences, Tatibandh, G.E. Road, Raipur (C.G.) 492099. No TA/DA will be paid for attending the Interview.
12. Canvassing of any kind will lead to disqualification. The prescribed qualification is minimum and mere possessing the same does not entitle any candidate for selection.
13. The reservation for ST/SC/OBC candidates is as per Central Govt. rules and 4% for PWBD candidates (on horizontal basis). For OBC Candidate: Candidates must attach certificate valid for the posts under the Central Government of India which mentions that the Candidate does not belong to Creamy Layer. Date of issue of Certificate should not be earlier than 1 year from the last date of submission of Application Form. For SC, ST and OBC Certificate should be issued by Tehsildar or above rank authorities prescribed by Govt. of India in format of State/Central Government.
14. UPPER AGE LIMIT (As on 31.07.2025).

a) The upper age limit for applying these posts is 45 years as on 31.07.2025.

The maximum permissible relaxations are:

i) SC/ST candidates	5 years
ii) OBC candidates	3 years
iii) Persons with Bench-mark Disabilities [PWBD] General Category	10 years
iv) Persons with Bench-mark Disabilities [PWBD] OBC Category	13years
v) Persons with Bench-mark Disabilities [PWBD] SC/ST Category	15 years

क्रमश:

b) The upper age limit in case of Ex-serviceman and Commissioned Officers including ECOS/SSCOS/ Government servants shall be relaxed by Five years in addition to the relaxation in (a) & (b) above, subject to the condition that on the closing date for receipt of applications the continuous service rendered in the Armed Forces by an Ex-serviceman is not less than six months after attestation. This relaxation is also available to ECOS/SSCOs who have completed their initial period of assignment of five years of Military Service and whose completed their initial period of assignment of five years of Military Service and whose assignment has been extended beyond five years as on closing date and in whose on Selection from the date of receipt of offer of appointment. Candidates claiming age relaxation under this para would be required to produce a certificate in the prescribed proforma to the commission at the time or interview at AIIMS Raipur.

NOTE: Ex-Serviceman who have already secured regular employment under the Central Govt. in a Civil Post are permitted the benefit of age relaxation as admissible for Ex-servicemen for securing another employment in any higher post or service under the Central Govt. However, such candidates will not eligible for the benefit of reserva tion, if any for Ex-servicemen in Central Govt. jobs.

15. Criteria for Persons with Bench-mark Disabilities (PwBD):
The disability certificate should be issued by a duly constituted and authorized Medical Board of State or Central Govt. Hospital/Institution and countersigned by Medical Superintendent/CMO/Head of Hospital/ Institution.

16. Criteria for OBC/SC/ST category candidates:
Candidates applying for OBC/SC/ST categories must possess caste certificate issued by the competent authorities, valid for admission/ jobs in Central Government Institutions as per prescribed format annexed at Annexure-A & B. All such certificates must be issued on or before the last date of application (i.c. 04.07.2025), and must have been issued on or after 01.04.2025 for OBC category, should be in Hindi/ English Language, failing which, he/she will not be allowed to appear for interview in the same category. However, he/she can be treated as UR candidate if in merit through interview.
EWS Certificate for Junior Residency should have been issued after 01.04.2025 till last date of application i.e 04.07.2025 form filling based on the income on year 2023-24. Also, as per DOPT guidelines EWS reservation will be given to eligible candidate subject to production of EWS certificate in prescribed format annexed at Annexure-C.

17. Based on bio-data, the Search cum Selection Committee may short-list Candidates for interview or they may be asked to appear in a written examination in case of large number of applicants.

18. Short-listing of candidates for interview/written test if any will be done on the basis of educational qualification, experience etc. and/or as per the short-listing criteria as may be decided by the Competent Authority. In case large number of applications are received for any post, a Screening Test may be conducted for short-listing of candidates for which the Syllabus, Scheme and the method of Screen ing Test (Computer based test or offline test) shall be notified in due course on the website of AIIMS, Raipur.

19. The written test, if any, will be held in Raipur only at All India Institute of Medical Sciences, Tatibandh, G.E. Road, Raipur (C.G.) 492099. List of eligible candidates, Date, time & for interview shall be put up in the website. No TA/DA will be paid for appearing in the interview. The candidates are advised to download their Admit Card from AIIMS Raipur website www.aiimsraipur.edu.in as no admit card will be sent by post. The Admit Cards will be hosted on AIIMS Raipur website.

20. The candidate who is already in government service shall have to submit 'No Objection Certificate' from the present employer at the time of Interview.

21. Final selection will be made on the basis of Interview. The decision of Executive Director & CEO, AIIMS Raipur in this regard shall be final and binding.

22. The appointment shall be as per Govt. of India's Residency Scheme. The appointment can be terminated at any time, on either side, by giving one month's notice or by paying one month's salary, without assign ing any reason or failure to complete the period of three months to the satisfaction of competent authority. The appointee shall be on the whole time appointment of the AIIMS and shall not accept any other assignment, paid or otherwise and shall not engage himself/herself in a private practice of any kind during the period of contract. He/She is expected to conform to the rules of conduct and discipline as applicable to the institute employees. The appointee shall perform the duties as signed to him/her. The competent authority reserves the right to assign any duty as and when required. No extra/additional allowances will be admissible in case of such assignment.

23. If an appointee wishes to apply somewhere else or resign within the first 03 (three) months of joining, then neither he/she will be issued a No Objection Certificate (NOC) nor he/she will receive any Relieving Letter or Experience Certificate.

24. The appointee shall not be entitled to any benefit like Provident Fund, Pension, Gratuity, Medical Attendance Treatment, Seniority, Promo tion etc. or any other benefits available to the Government Servants, appointed on regular basis.

25. The candidate should not have been convicted by any Court of Law.

26. In case of any information given or declaration by the candidate is found to be false or if the candidate has will-fully suppressed any ma terial information relevant to this appointment, he/she will be liable to be removed from the service and any action taken as deemed fit by the appointing authority.

27. The decision of the competent authority regarding selection of can didates will be final and no representation will be entertained in this regard.

28. Incomplete applications in any aspect will be summarily rejected.

29. The Competent Authority reserves the right of any amendment, cancellation and changes to this advertisement as a whole or in part without assigning any reason or giving notice.

30. All disputes will be subject to jurisdictions of Court of Law at Raipur (CG).

31. Appointment of selected candidates is subject to his/her being declared medically fit by competent Medical Board.

32. Name of the shortlisted candidates will be displayed in the institute website. No separate Individual intimation will be sent. Besides, all information regarding Written Test and/or Skill Test schedule etc. will also be provided through the Institute website only. The Institute will not be responsible in any manner if a candidate fails to visit /access the website on time. Candidates are requested to regularly visit the Institute website i.e. www.aiimsraipur.edu.in for updated information regarding the recruitment.

33. In case of any inadvertent mistake in the process of selection which may be detected at any stage even after the issue of appointment letter, the Institute reserves the right to modify/withdraw/cancel any com munication made to the candidate.

34. The applicant will be responsible for the authenticity of submitted in formation, other documents and photograph. Submission of any false and/or suppression/concealment of facts shall lead to rejection/cancel lation of selection/recruitment.

35. In case of any clarifications regarding the recruitment candidates may contact: residentrecruitment@aiimsraipur.edu.in or call on 0771 -2577228. For any updates please visit the Institute website i.e. www. aiimsraipur.edu.in regularly.

Sd/-
Executive Director and CEO
AIIMS Raipur

क्रमशः

Annexure-A

SN	Department	Vacant post					
		UR	OBC	SC	ST	EWS	Total
1	Anaesthesiology	2	4	1	0	2	9
2	Anatomy	0	0	1	1	0	2
3	Biochemistry	1	2	0	0	0	3
4	Burns & Plastic Surgery	1	1	1	0	0	3
5	Cardiology	1	1	0	0	0	2
6	Cardiothoracic Surgery	1	0	1	0	0	2
7	Clinical Haematology	1	1	0	0	0	2
8	Community and Family Medicine	1	1	0	0	0	2
9	Dermatology	0	1	0	0	0	1
10	Endocrinology and Metabolism	2	0	1	1	0	4
11	ENT-HNS	0	2	0	0	0	2
12	Forensic Medicine and Toxicology	2	0	1	0	0	3
13	Gastroenterology	0	1	1	0	1	3
14	General Medicine	2	2	2	1	0	7
15	General Surgery	2	1	0	0	1	4
16	Medical Oncology	1	0	1	1	0	3
17	Microbiology	0	1	1	1	0	3
18	Neonatology	1	0	1	0	1	3
19	Nephrology	0	2	0	0	0	2
20	Neurology	1	0	1	0	0	2
21	Neurosurgery	1	1	0	0	1	3
22	Nuclear Medicine	0	0	0	1	0	1
23	Obstetrics & Gynaecology	0	0	1	0	1	2
24	Ophthalmology	1	0	2	0	0	3
25	Orthopaedics	1	1	0	1	0	3
26	Paediatric Surgery	3	1	0	0	0	4
27	Paediatrics	0	2	0	1	0	3
28	Pathology and Lab Medicine	0	1	0	0	0	1
29	Pharmacology	1	0	0	0	0	1
30	Physical Medicine and Rehabilitation	0	0	1	1	0	2
31	Physiology	0	0	2	0	0	2
32	Psychiatry	1	0	0	0	0	1
33	Radiodiagnosis	1	1	0	0	0	2
34	Radiotherapy	1	1	1	0	0	3
35	School of Public Health	0	0	0	0	1	1
36	Surgical Gastroenterology	1	0	1	0	0	2
37	Transfusion Medicine and Blood Bank	1	1	0	0	0	2
38	Trauma and Emergency	4	1	2	2	2	11
39	Urology	0	1	0	0	0	1
	Total	**35**	**31**	**23**	**11**	**10**	**110**
	Including 04 posts PwBD						

Note:

1. As per guidelines EWS posts are not carried forward/or Considered as backlog vacancy in case unfilled. Hence other category candidates may be allowed provisionally to apply for post subject to the condition that they will be considered for the post as a URS Candidate only if EWS category seat is otherwise not filled.

2. Candidates who are applying for clinical departments may appear for interview for Trauma & Emergency Department also subject to their willingness.

एम्स रायपुर में सीनियर रेसीडेन्ट गैर शैक्षणिक (रेसीडेन्सी स्कीम, भारत सरकार) पद हेतु आवेदन पत्र 2025

Application Form for the post of Senior Resident (Non-acad) in AIIMS, Raipur under residency scheme, Govt. of India - 2025

विज्ञापन सं. / Advertisement No.: No.9/327/202425/Recruit./Reg./AIIMSRPR/1291 date: 24.06.2025

आवेदित पद /Post Applying: Senior Resident (Non-Acad)

विभाग के लिए /For Department: ____

Affix Passport Size self-attested color photograph here.

1. नाम स्पष्ट अक्षरों में/ Name in block letters:

2. पिता/पति का नाम स्पष्ट अक्षरों में / Father / Husband's Name in block letters:-

3. (अ) स्थायी पता / (a) Permanent Address:-

   राज्य/ State

   पिन/Pin

   (ब) डाक का पता/ (b) Postal Address:-

   राज्य/State

   पिन/Pin

4. सपर्क विवरण / Contact Details:- एसटीडी कोड सहित फोन नं/Phone No. With STD Code

   मोबाईल न / Mobile No.:

   ईमेल/E-mail

5. प्रमाणपत्र के अनुसार जन्मतिथि / Date of Birth with documentary evidence — दिनांक/Date माह/ Month वर्ष / Year

   आवेदन की अंतिम तिथि को आयु Age as on last date of application — वर्ष / Year माह/ Month दिन/Day

6. क्या आप / Are you जन्म से / By Birth अधिवास द्वारा/By Domicile

   (अ) जन्म से भारतीय नागरिक है अथवा अधिवास द्वारा (सबंधित पद चिन्हित करें) जन्म से अधिवास द्वारा

   (a) A citizen of India by birth and or by domicile? (Tick the relevant column) By Birth By Domicile

   यदि आप अधिवास द्वारा भारतीय नागरिक है तो प्रमाण-पत्र सलग्न करे /If citizen of India by domicile, attach documentary evidence

7. क्या आप अजा/अजजा/अपिवई ब्ल्यूएस से संबधित है? (हा/नहीं) Are you a SC/ST/OBC/EWS Candidate? (Yes/No)

   कृपया विज्ञापन का पैरा 16 Please refer Para-16 of Advertisement

8. Applied under Category: UR [ ] EWS [ ] OBC [ ] SC ST [ ] PWD [ ]

9. लिंग/Gender: पुरुष/ Male ☐ महिला/Female ☐ अन्य/Other ☐ (संबंधित पर चिन्ह लगाए/Tick the relevant)-

10. Person with disability (PWD)/ विकलांगत्ता (Yes/No) ☐

क्रमश:

11. Ex-serviceman/ (Yes/No) ☐
12. Date of Tenure Completion:

परीक्षा का नाम /Name of the Examination	विषय/विधा/ विशिष्टता /Subject/ Discipline /Speciality	विश्वविद्यालय / संस्थान महाविद्यालय /University /Institute /College	पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की तिथि /Date of completion of course	अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का माह तथा वर्ष / Month & Year of Passing final examination	प्राप्तांक/ Marks obtained	पाठ्यक्रम की अवधि Duration of Course
10^{th}						
12^{th}						
MBBS						
MD/MS/DNB /Diploma						

13. शैक्षणिक योग्यता / Educational Qualification:-
(कृपया सबंधित उपाधियों को चिन्हित करे /Please tick the relevant Degrees)
14. Permanent N.M.C./D.M.C.:-
State Registration No.
15. Whether previous experience as Senior Resident at AIIMS or outside, if so mention the Department/period/Subject:
Organization/Institution
Department :
From :
To :
Total Working Period (in months) :
16. Transaction Details for UR/OBC/EWS candidates
i. Fees :
ii. Transaction ID :
iii. Transaction Date and time :

Please Note:

1. Incomplete application will be rejected straight way.
2. If it is found, that the applicant has suppressed any information or given wrong information. his/her Senior Residency will be terminated forthwith without assigning any reason.
3. The Senior Residents are entitled to leave at the rate of $2^{1/2}$ days leave for every completed month.

वचनबद्ध/UNDERTAKING

मैं सत्य निष्ठा से अभिपुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचना, जहां तक मुझे पता है, सत्य तथा सभी तरह से सही है। मैंने किसी भी सूचना को नहीं छुपाया है। मैं वचन देता/देती हूँ कि इसमें दी गई कोई भी सूचना यदि गलत या झूठी पायी जाती है, तो मैं लागू, नियमों के अनुसार की गई कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंऊगा / होंऊगी।

I solemnly affirm that the information furnished above is true and correct in all respects to the best of my knowledge. I have not concealed any information. I undertake that any information furnished herein is found to be incorrect or false, I shall be liable for action as per rules in force.

स्थान / Place ☐ उम्मीद्वार के हस्ताक्षर / Signature of the Candidate.

दिनांक/Date ☐ उम्मीद्वार का नाम / Name of the Candidate
(स्पष्ट अक्षरों में/ in block letters)

निम्नलिखित प्रमाणपत्रों/अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपिया नीचे दिए हुए क्रम में संलग्न करें।

Attach self attested photocopies of the following certificates/documents in the order as mentioned below:

Sr. No.	Copy of the documents (self attested)	Please tick (√)
01	Certificate for Date of Birth (Class X or XII Certificate)	
02	MBBS Mark Sheets (All Semester)	
03	MBBS Degree	
04	Internship completion certificate	
05	Attempt certificates	
06	MCI/NMC/State council registration	
07	MD/MS/DNB/PG Diploma certificate	
08	SC/ST/OBC/PH certificate issued by the competent authority (if applicable)	
09	Experience (if any)	
10	No Objection Certificate (if any)	
11	Copies of any other relevant documents	

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
/Signature of the Candidates

Annexure-A

OBC Certificate Format

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS/ADMISSION TO CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (CEIS), UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt/Kum-------------- the Son Daughter of Shri / Smt--------- of Village/Town--------------------- District Division-----------in the -------------state belongs to the ---- community which is reoognized as a backword class under:
(1)Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10/06/93 published in the Gazette of India Extraordinary Part Section 1 No. 180 dated 13/09/93
(ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Extraordinary Part 1 Section 1 No. 153 dated 20/10/94
(iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 1 No. 80 dated 25/05/95.
(iv) Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 9/03/96
(v) Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6/12/96 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 11/12/96 (vi) Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 03/12/97.
(vii) Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11/12/97.
(ix) Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6/12/99 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 1 No. 270 dated 06/12/99.
(viii) Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27/10/99.
(x) Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 71 dated 04/04/2000.
(x) Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21/09/2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part 1 Section I No. 210 dated 21/09/2000.
(x) Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 06/09/2001
(x) Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003
(xiv) Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004
(xv) Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section I No. 210 dated 10/01/2006
(xvi) Resolution No. 12011/14/2004-BCC dated 12/03/2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 1 No. 67' dated 12/03/2007.
(xvi) Resolution No. 12015/2/2007-BCG dated 18/08/2010.
(xvi) Resolution No. 12015/13/2010-BCC dated 08/12/2011
Shri/Sml/Kum----------------------and/or his family ordinarlly reside(s) in-----------------the District/Division of-------------------- Stale. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/ sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the

क्रमशः

Government of India, Depertment of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt (SCT) dated 08/09/93 which is modified vide OM No. 36033/3/2004 Estt. (Res.) dated 09/03/2004, further modified vide OM No. 36033/3/2004-Estt. (Res.) dated 14/10/2008 or the latest notification of the Government of India.

Dated:

District Magistrate/

Deputy Commissioner/Competent Authority

Seal

Please delete the word(s) which are not applicable.

NOTE:

(a) The term 'Ordinarily resides used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act,

1950 (b) The authorities competent to issue Caste Certificates are indicated below:

District Magistrate / Additional Magistrate / Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector/ist Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional magistrate /Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant

Commissioner (not below the rank of Ist Clasa Stipendiary Magistrato). (i) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(Revenue Officer not below the rank of Tehsildar' and

(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides

Annexure-B

FORMAT FOR SC/ST CERTIFICATE

A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes should submit in support of his claim an attested/certified copy of a certificate in the form given below, from the District Officer or the sub-Divisional Officer or any other officer as indicated below of the District in which his parents (or surviving parent) ordinarily reside who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education. Wherever photograph is an integral part of the certificate, the Commission would accept only attested photocopies of such certificates and not any other attested or true copy.

(The format of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under Government of India)

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* son/daughter of District/ Division of village/town/₹ In

of the State/Union Territory*

belongs to the Caste/Tribes Castes/Scheduled Tribes under:-which is recognized as a Scheduled

The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950

The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950

The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories order, 1951

The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951₹

As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists(Modification) order, 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960 & the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, the North-Eastern Area (Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order(Amendment) Act, 1976.

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956

The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended

by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order (Amendment Act), 1976.

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order 1962.

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962@.

The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964@

The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967@

The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968@

The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order 1968@

The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970@

The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978@

The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978@

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order 1989@

The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990@

The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1991@

The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 1991@

The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1996

The Scheduled Caste and Scheduled Tribe Orders(Amendment) Act 2002.

The Constitution (Scheduled Caste) Orders(Amendment) Act 2002.

The Constitution(Scheduled Caste and Scheduled Tribe) Orders(Amendment) Act 2002.

The Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Act 2007.

%2. Applicable in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes persons who have migrated

from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled tribes certificate Shri/Srimati------------Father/mother---------------of Shri/Shrimati/Kumari----------------of village/town ---------in District/Division------------of the State/Union----------- who belong to the------------------Caste/Trible which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory issued by the-----------dated--------------of

%3. Shri/Shrimati/Kumari and his/her family ordinarily reside(s) in village/town--------------of----------------District/Division------------ of the State Union Territory of------------------

Signature------------------

Designation----------------

(with seal of office)

Place:------------------

Date-------------------

Please delete the words which are not applicable

@Please quote specific presidential order

% Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

List of authorities empowered to issue Caste/Tribe Certificates:

(1) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy.Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate. Magistrate/Presidency

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.

NOTE: ST candidates belonging to Tamil Nadu state should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

विकास और प्रगति पथ पर
छत्तीसगढ़

देश में धान की सर्वाधिक किस्मों वाला राज्य

प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता में देश का सबसे संपन्न राज्य

जैव विविधता के साथ हरियाली में अग्रणीय राज्य

कोयला उत्पादन में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य

देश के कुल सीमेंट उत्पादन में 20% का योगदान देने वाला राज्य

लौह अयस्क उत्पादन में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य

देश में टीन धातु का नंबर वन उत्पादक राज्य

सरप्लस बिजली उत्पादन के साथ देश का पावरहाउस

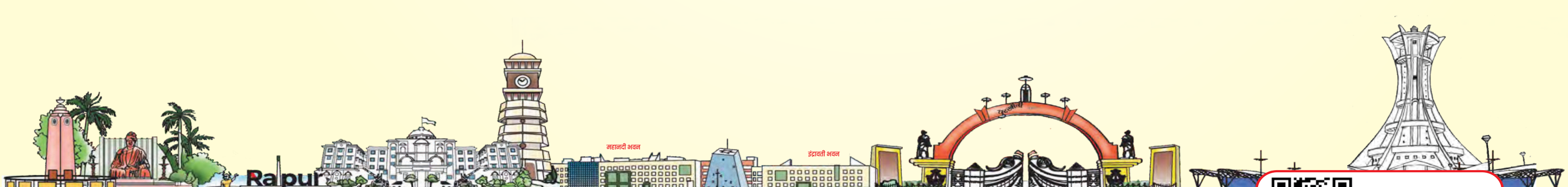

हमने बनाया है, हम ही सँवारेंगे

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जुड़ने के लिए Q.R. Code स्कैन करें

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित,
छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक-जवाहर लाल दरियो